जिला शिक्षा योजना

88-89

कार्यालय
जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर

54427
379.15
UDA-J

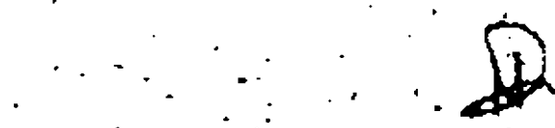

Sub. National [illegible] Unit,
National [illegible] Educational
Pl[illegible] Delhi-11001
D[illegible]
Date [illegible]

-: जिला शिक्षा योजना, उदयपुर :-

-: वर्ष 1988-89 :-

-: संरक्षक :-

-: श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता :-

-: कार्यालय, शिक्षा उप निदेशक, उदयपुर :-

-: उत्प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :-

-: श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी, जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), उदयपुर :-

-: परामर्श :-

श्री पी.डी. हस्तक अति. जि.शि.अ., राजसमंद	डा. विद्यासागर शर्मा अति. जि.शि.अ., कुम्भलगढ़	श्री हरिसिंह मेहता अति. जि.शि.अ., वल्लभनगर
श्री रमेश प्रकाश माहेश्वरी उप-जि.शि.अ., उदयपुर	श्री लक्ष्मीकान्त नागर उप-जि.शि.अ., उदयपुर	श्री राम प्रसाद कावरा उप-जि.शि.अ., उदयपुर

-: सम्पादन व संयोजन :-

-: श्री भगवती लाल चोरड़िया :-

शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी

योजना प्रारूप :-

श्री महिपाल कश्यप,
वरिष्ठ अध्यापक,
रा.मा.वि.—[illegible]

टंकण व संकलन :-

श्री श्याम सुन्दर पालीवाल,
कनिष्ठ लिपिक,
स्थानीय कार्यालय, उदयपुर

NIEPA DC
D05508

-: प्रकाशक :-

-: शैक्षिक प्रकोष्ठ :-

-: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, शिक्षा विभाग, उदयपुर :-

[illegible]/-

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-5569
Date 11/12/90

-: शैक्षिक प्रकोष्ठ वातायन से :-

राजस्थान मे विगत तीन दशाब्दियो से जिले के विद्यालयो मे होने वाली शैक्षिक गतिविधियो एवं नवाचारो का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का शैक्षिक प्रकोष्ठ अपनी क्षमताओ और सीमाओ मे रहते हुये भलीभांति निर्वाह कर रहा है । जिला शिक्षा अधिकारी के शैक्षिक प्रशासन का माध्यम शैक्षिक प्रकोष्ठ, शिक्षा जगत की नई चुनौतियो, एवं उनके शैक्षिक समाधान के क्रियान्वय की ओर लगातार अग्रसर है ।

शैक्षिक नवाचारो के लिये दिशा निर्देश एवं क्रियान्वयन शैक्षिक प्रकोष्ठ का महती दायित्व है । उसमे प्रधानाध्यापक वाकपीठ, सेवारत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यालय योजना, विद्यालय संकुल, समान परीक्षा व्यवस्था आदि कार्यो को शैक्षिक धरातल प्रदान करने हेतु मार्गदर्शन एवं विस्तार दिया जाता है । नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, नई शिक्षा नीति 1986 का क्रियान्वयन पक्ष, आदि अनेक कार्य शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ विस्तार पाते चले जा रहे है ।

विद्यालय परिवीक्षण एवं दल परिवीक्षणो आदि की योजना क्रियान्वयन व अनुपालना भी शैक्षिक प्रकोष्ठ द्वारा ही नियोजित होती है ।

जिला शिक्षा योजना 1988-89 प्रस्तुत करते हुये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सत्र 1988-89 मे शैक्षणिक एवं शैक्षिक नवाचारो एवं सुधारो के नियोजन एवं क्रियान्विति को स्वरूप प्रदान करने मे स्थानीय जिले ने राज्य मे अपनी अहं भूमिका का निर्वाह किया है । जिसका सारा श्रेय शैक्षिक प्रकोष्ठ को है ।

योजना की सार्थकता उसकी सफल व विधिवत क्रियान्विति पर आधारित है । इसका निर्माण भी श्रम व समय सापेक्ष कार्य है । इसकी सर्वांगपूर्णता पर हमारा दावा नही है । कमियां संभव है । विद्वान शिक्षा शास्त्रियो तथा अध्यापक बंधुओ से निवेदन है कि योजनाओ को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु अपने अमूल्य सुझाव देने का कष्ट करे । आपके अमूल्य सुझावो का हमे सदैव स्वागत रहेगा ।

इस शैक्षिक सत्र मे हमारे विद्यालयो मे जिस प्रकार नई चेतना का संचार हुआ है, उसका सारा श्रेय मै आप सभी अधिकारीगण, कर्मचारी एवं अध्यापको को देता हूँ ।

नवीस्वीन [illegible]
जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थाये,
उदयपुर

स्वपी/-

-: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, उदयपुर -

-: जिला शिक्षा योजना, उदयपुर :-

- सत्र 1988-89 -

क्र.सं.	विषय सामग्री	पृष्ठ संख्या
1.	जिले की शैक्षिक परिस्थितियों का परिचयात्मक विवरण	1
2.	जिले की शैक्षिक स्थितियों का परिचयात्मक विवरण	3
3.	जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र, के अन्तर्गत जिले में विभिन्न स्तर के पद	4
4.	जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अन्तर्गत पंचायत समितियों एवं शिक्षण संस्थाओं संबंधी विवरण	5
5.	बारहवीं कक्षा 10 जमा 2 के लिये क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय	6
6.	उदयपुर क्षेत्र में अध्ययनरत कक्षानुसार छात्र संख्या	7
7.	कम्प्यूटर शिक्षा के विद्यालय	7
8.	स्तरानुसार राजकीय विद्यालय नामांकन	8
9.	जनजाति क्षेत्र के आवास विद्यालयों की सूचना	9
10.	छात्रवृत्तियां -1987-88	10
11.	नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु निर्धारित केन्द्र एवं स्तरानुसार संभागियों का आवंटन [सत्र 1987-88]	11
12.	परीक्षा व्यवस्था कक्षा 8 [1987-88]	12
13.	शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन	15
14.	वृक्षारोपण प्रगति विवरण -1987-88	18
15.	हमारे गौरव पुरस्कृत शिक्षक 1987-88	18
16.	जिला स्तरीय विज्ञान मेला-1987-88	16
17.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जिला स्तरीय विज्ञान शिक्षण प्रतियोगिता	17

क्र.....

एसपी/-

18.	ग्राम स्तरीय समान परीक्षा केन्द्र एवं क्षेत्र	17
19.	अन्य भाषा शिक्षण व्यवस्था वाले विद्यालय	18
20.	वर्ष 1987-88 की जिला शिक्षा योजना की उपलब्धियाँ	19
21.	जिले के विभागीय योजनाओं में प्रस्तावित कार्यक्रम एवं विद्यालय संख्या	20
22.	शैक्षिक क्षेत्र	21
23.	भौतिक क्षेत्र	22
24.	वर्ष 1988-89 के जिला शिक्षा योजना अन्तर्गत कार्यक्रम	23
25.	प्र०अ०वाक्पीठ योजना- संगठन	24
26.	वाक्पीठ संबंधी कार्यालय आदेश	25
27.	उदयपुर जिला उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि, प्र०अ०वाक्पीठ वार्षिक कार्य योजना-सत्र, 1988-89	27
28.	अध्यापकों की वार्षिक योजना 1988-89	31
29.	जिला स्तरीय सत्र परिवीक्षण योजना -1988-89	33
30.	विद्यार्थी मूल्यांकन योजना -सत्र 1988-89	36
31.	कक्षा 8 के लिये जिला बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा योजना-88-89	40
32.	जिला शिक्षा अनुवर्तिता वाक्पीठ, उदयपुर योजना-88-89	42
33.	प्रकाशन कार्य की वार्षिक योजना-88-89	43
34.	प्र.अ. द्वारा परिवीक्षण की वार्षिक योजना-88-89	45
35.	जिला सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम योजना-88-89	46
36.	जिला खेलकूद प्रतियोगिता योजना-88-89	48
37.	शैक्षिक भ्रमण योजना-88-89	50
38.	विद्यालय लेखा संबंधी योजना-88-89	52
39.	जिला शिक्षा योजना क्रियान्वयन पैमाना-1988-89	59
41	[illegible]	[illegible]

स्वयंपी/

-: अध्याय :-

- 1 -

-: जिले की शैक्षिक स्थितियों का परिचयात्मक विवरण :-

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

वीरां री या उजली धरती, धरम करम री री ही धाम ।
धन या धरा या उदियापुर री, हिन्दुआ सूरज रो अमर नाम ।।

भाण भरी जद पाण सुणा सूम, तो जोम जोम रो च्या इतिहास ।
कण कण, मोण या आडावल री, भरी शीलां कैवाणी स्वास ।।

लीला हरिया खेत, सेवाती, ई, डूंगर धर रा छाया ।
सुनू साये जद बी देख्यो, कतरी धमाल की च्या आंधा ।।
अकबर ओलख्यो आछी उमर, लीपो कद नी सफ्ने नाम ।।

ई गढ इण री माती छाती, पेढीडा गाये वसरा गीत ।
चांदा सूरज केणा दी ई, करे रोसणी सुं नव प्रीत ।
कुंभा, पन्ना, जैसमल पता, सवैया री स्वर्णमा रो नाम ।।

चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदेपर, सीरव या हलदी घाटी ।
इतिहास भरया है ओ नस नस में, वीरां री उजली माटी ।
हबरा बोल्या जमो बामण धारो, पांव छूट मे की दो नाम ।।

- नारायण

प्रशासनिक दृष्टि से :-

इस प्रकार उदयपुर जिले में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 दिल्ली से अहमदाबाद को मिलाता है । इसके पूर्व दिशा में चित्तौड़, पश्चिम में पाली-जोधपुर, उत्तर दिशा में अजमेर तो दक्षिण दिशा में डूंगरपुर बांसवाड़ा है ।

यह जिला 9 उपखंडों में -राजसमंद/सलुम्बर/वल्लभनगर [प्रति. जिशि.] तथा गोगुन्दा/देवगढ़/नाथद्वारा/कानोड़/खेरवाड़ा [उप जिशि.] में विभक्त है । इसी प्रकार इसमें 17 तहसीलें एवं 18 पंचायत समितियां है । जिसमें कुल 3145 गांव रिथत है । इसमें से 3117 गांव आबाद एवं शेष 20 गांव गैर आबाद है । इसमें 14 विधान सभाई क्षेत्र, 2 लोक सभाई क्षेत्र है एवं शहरी सीट-2 श्रेणी में वर्गीकृत है यहां एक टेलीविजन केन्द्र, 48 पुलिस थाने, एक आकाशवाणी केन्द्र, 675 डाकघर, 98 तारघर, 13 छविगृह 43 रेल्वे स्टेशन, 15 सब सेंटर तथा 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है । शैक्षणिक उपलब्धियों के लिये उदयपुर अग्रणी है । रा.रा.शै.अनु.एवं प्रशि.संस्थान, उदयपुर भी इस दृष्टि से महती भूमिका अदा करता है एवं समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित दिशा निर्देश देकर मार्ग प्रशस्त करता है ।

एसपी/-

क्र........

जनसंख्या :-

क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से इस जिले का राज्य में दूसरा स्थान है। वर्ष 1981 में कुल जनसंख्या 23,56939 थी इसमें से 85 प्रतिशत जनता गांवों में और शेष 13 प्रतिशत शहरों में निवास कर अपनी जीवन यापन करती है।यो यहां की साक्षरता का प्रतिशत 22-81 है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 15·79 ही है।

जनसंख्या वर्गीकरण	उदयपुर जिला	राजस्थान (हजारों में)
पुरुष	11,91,909	17,736
स्त्री	11,66,850	16,372
योग	23,56,959	34,108
शहर में	3,55,119	7,140
गांवों में	2001,840	26,968

उदयपुर शहर की आबादी :- 232588

स्तपी/ए-

3........

-: जिले की शैक्षिक स्थितियों का परिणात्मक विवरण :-

-: सारणी :-

-: विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी :-

क्र.सं.	पद का नाम	जि.शि.अ.	अति.जि.शि.अ.			उप जि.शि.अ.					योग
		उदयपुर	राजस.	ऋषभ.	सलू.	गोगु.	देव.	ऋष.	सरा.	नाथ.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
1.	जि.शि.अ.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	अति.जि.शि.अ.	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3
3.	वरि.उप जि.शि.अ.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	उप जि.शि.अ.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.	अवर उप जि.शि.अ.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6.	डी.पू.अधि.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	आशुलिपिक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कार्यालय अधीक्षक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	कार्या.सहायक	3	1	1	1	1	1	1	-	-	9
.	लेखाकार	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4
.	कनि.लेखाकार	2	1	1	1	1	1	1	1	1	10
.	सांख्य.निरी.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
.	वरिष्ठ लिपिक	4	1	1	1	-	-	-	1	1	9
.	कनिष्ठ लिपिक	25	5	5	5	4	4	4	3	3	58
.	वाहन चालक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
.	जमादार	1	1	1	1	-	-	-	-	-	4
.	च.श्रे.क.	11	3	3	3	3	2	2	2	2	31
.	पुस्त.पोषक	-	3	3	-	-	-	-	-	-	6
यो/-		61	17	17	15	11	10	10	9	7	[illegible]

-: जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, के अन्तर्गत जिले में विभिन्न स्तर के पद

\- सत्र 1987-88 -

क्र॰सं॰	पद नाम	पद संख्या
1.	जिला शिक्षा अधिकारी	1
2.	अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी	3
3.	प्राचार्य	3
4.	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी	1
5.	प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय	40
6.	उप जिला शिक्षा अधिकारी	10
7.	उप जिला शिक्षा अधिकारी [बा॰शिक्षा]	1
8.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय	128
9.	अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी	9
10.	व्याख्याता स्कूल शिक्षा	564
11.	वरिष्ठ अध्यापक	1840
12.	अध्यापक	7388
13.	पुस्तकालयाध्यक्ष [द्वि॰वे॰श्रृ॰]	29
14.	पुस्तकालयाध्यक्ष [तृ॰वे॰श्रृ॰]	85
15.	प्रयोगशाला सहायक [द्वि॰वे॰श्रृ॰]	8
16.	प्रयोगशाला सहायक [तृ॰वे॰श्रृ॰]	222
17.	शारीरिक शिक्षक [प्र॰वे॰श्रृ॰]	6 पद 1 [स्वीकृत]
18.	शारीरिक शिक्षक [द्वि॰वे॰श्रृ॰]	40 पद 18 -"-
19.	शारीरिक शिक्षक [तृ॰वे॰श्रृ॰]	116 पद 12 -"-
20.	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	1
21.	उद्योग शिक्षक [प्र॰वे॰श्रृ॰]	-
22.	उद्योग शिक्षक [द्वि॰वे॰श्रृ॰]	29
23.	उद्योग शिक्षक [तृ॰वे॰श्रृ॰]	12
24.	कार्यालय अधीक्षक	1
25.	कार्यालय सहायक	11
26.	लेखाकार	4
27.	कनिष्ठ लेखाकार	10
28.	वरिष्ठ लिपिक	198
29.	कनिष्ठ लिपिक	249
30.	आशुलिपिक	8 1
31.	क्षेत्रीय निरीक्षक	2
32.	जमादार	44
33.	वाहन चालक	1
34.	सहायक कर्मचारी	848
35.	[illegible]	435
36.	[illegible] मेन	2

शैक्षिक संस्थायें जिला उदयपुर

1.	शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय	1
2.	जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान	1
3.	सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय [10+2]	7
4.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	35
5.	माध्यमिक विद्यालय	124
6.	उच्च प्राथमिक [illegible]	467
7.	प्रा॰वि॰ ([illegible])	[illegible]
8.	—"— ([illegible])	1990

जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के अंतर्गत पंचायत समितियों एवं शिक्षण संस्थाओं संबंधी विवरण :- सन 198[illegible]-88 :-

क्र.सं.	अधिकारी	पं.स.	शि.प्र.वि.	शिक्षण संस्थाओं का स्तर			
				उमावि	मावि	उप्रावि	प्रावि
1.	जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर	गिर्वा	–	5	8	31	125
		उदयपुरनगर	3	3	9	31	125
		बड़गांव	–	2	9	23	104
		झाड़ोल	–	2	10	30	106
		गोगुन्दा	–	2	4	23	103
		कोटड़ा	–	1	1	14	114
			3	15	41	152	677
2.	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, वल्लभनगर	मावली	–	4	7	29	113
		भींडर	–	3	9	32	48
			–	7	16	61	277
3.	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, सलूम्बर	धरियावद	–	1	5	20	116
		सलूम्बर	–	3	6	35	110
		सेरवाड़ा	–	4	8	37	177
		सराड़ा	–	2	11	34	127
		झाडोल	–	1	7	18	105
			–	11	37	144	635
4.	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	कुम्भलगढ़	–	2	5	23	113
		राजसमन्द	–	2	9	23	110
		देवगढ़	–	6	4	12	59
		रेलमगरा	–	3	5	21	64
		आमेट	–	2	1	13	73
		भीम	–	1	6	19	93
			–	11	30	113	512
5.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, गोगुन्दा	गोगुन्दा	–	–	–	24	106
		कोटड़ा	–	–	–	14	115
			–	–	–	38	221

एसपी/–

क्र......

6.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, देवगढ़	भीम	-	-	-	19	93
		देवगढ़	-	-	-	12	59
		आमेट	-	-	-	15	73
			-	-	-	46	225
7.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद	झाडोल	-	-	-	78	105
		केलवाडा	-	-	-	37	177
			-	-	-	115	282
8.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, सराडा	सराडा	-	-	-	34	127
			-	-	-	34	127
9.	उप जिला शिक्षा अधिकारी, नाथद्वारा	राजसमंद	-	-	-:	23	104
		खमनोर	-	-	-	30	106
			-	-	-	53	210

जिले में व्यावसायिक कक्षाओं के लिये प्रयोगात्मक उच्च माध्यमिक विद्यालय/संस्थायें

1. रा॰ फतह, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर
2. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, मावली
3. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, वल्लभनगर
4. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, भीम
5. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, केलवाडा
6. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजसमंद
7. रा॰ उच्च माध्यमिक विद्यालय, सलुम्बर

निजी संस्थायें:-

1. विद्याभवन- उ॰ मा॰ वि॰, उदयपुर
2. नवभारत-उ॰ मा॰ वि॰, उदयपुर
3. भूपाल नोबल्स, उमावि-उदयपुर
4. जवाहर जैन शिक्षण संस्थान, उदयपुर
5. श्री मन्नारायण उ॰ मा॰ वि॰, डबोक
6. जवाहर विद्यापीठ, उमावि-कानोड

एसपी/- 　　　　　　　　　　　　क्र..........

उदयपुर क्षेत्र में अध्ययनरत कक्षानुसार छात्र संख्या :-आधार तिथि:-30.9.87

कक्षा	ग्रामीण क्षेत्र			शहरी क्षेत्र		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पूप्रा.	2581	1212	3793	5116	3465	8581
प्रवि.	99473	36914	136387	17180	8701	25881
कक्षा-3	27833	5884	33717	4324	4065	8389
-"- 4	23152	5462	28614	4202	3887	8089
-"-5	18571	4739	23300	4234	3683	7917
-"-6	18441	2635	21075	6953	1925	8878
-"-7	15808	2353	18161	5917	1859	7776
-"-8	14775	1625	16400	4605	1564	6169
-"-9	8121	768	8889	5350	346	5696
-"-10	5636	757	6393	4652	298	4950
-"-11	2078	328	5106	3168	248	3436
योग:-	236469	62677	299146	65701	30041	95742

उदयपुर जिला के विद्यालय:-[illegible]:-

1. राजकीय- मु.मो.लि-उमावि-उदयपुर
2. -"- - फतह, उमावि-उदयपुर
3. -"- -उमावि-धरियावद
4. -"- - उमावि-[illegible]वाड़ा
5. -"- - उमावि-मावली
6. -"- - वल्लभनगर
7. -"- - उमावि-राजसमंद
8. -"-उमावि-नाथद्वारा
9. -"- उमावि-गोगुन्दा

[illegible] विद्यालय/[illegible] विद्यालय:-

1. श्री [illegible] उमावि-[illegible]
2. भूपाल नोबल्स उमावि-उदयपुर
3. [illegible] उमावि-कांकरोली
4. विद्याभवन उमावि-उदयपुर
5. नवभारत उमावि-उदयपुर
6. [illegible] शिक्षा भवन, उमावि-उदयपुर
7. गोस्वामी रामपुरी, बाल निकेतन, उमावि-उदयपुर
8. जवाहर विद्यापीठ, उमावि-कानोड़

हस्ती/-

8.....

-: स्तरानुसार राजकीय विद्यालय नामांकन सन 1987-88 :-

विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या	कुल नामांकन			अ.जा. नामांकन			अ.ज.जाति नामांकन		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
प्राथमिक विद्यालय 6-11 वर्ष	2084	191217	81087	272304	18566	8044	26610	55748	13955	69703
उच्च प्राथमिक विद्यालय 11-14 वर्ष	512	59657	16803	76460	6312	1129	7441	9727	1301	11028
योग :-	2596	250874	97890	348764	24878	9173	34051	65475	3256	80731

हसपी/-

जनजाति क्षेत्र के आश्रम विद्यालयों की सूचना :-

क्र.सं.	आश्रम विद्यालय	पंचायत समिति	विद्यालय स्तर	प्रारंभ तिथि	छात्र संख्या	वि.वि.
1.	मामेर	कोटड़ा	उप्रावि	22.7.78	100	
2.	मोठड़ा	धरियावद	प्रावि	1.11.79	50	
3.	लसाड़िया	धरियावद	उप्रावि	21.7.81	100	
4.	झाड़ोल	फलासिया	उप्रावि	1.1.84	100	
5.	भाराना	सलूम्बर	उप्रावि	1.12.85	100	
6.	अम्बासा	झाड़ोल	प्रावि	24.12.86	50	
7.	सराड़ा	सराड़ा	उमावि	जनवरी 1988	50	
8.	मामा का पीरा	कोटड़ा	प्रावि	24.4.1988	50	

एसपी/-

छात्र वृत्तियां :- सत्र 1987-[illegible]

अनुसूचित जाति		अनु. जन जाति		ग्रामीण प्रतिभावान		मृत राज्यकर्मचारियों के बालकों को दी जाने वाली छात्र वृत्ति		घुमन्तु छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति		[illegible] छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति		बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति	
छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र / छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि	छात्र/ छात्रा	बांटी गई राशि
-	1339600/-	-	17577[illegible]/-	277	118380/-	70	7240/-	-	-	325	16940/-	26	20400/-

ह0/-

नई शिक्षा नीति के अपेक्षित प्रशिक्षण हेतु निर्धारित केन्द्र, स्तर एवं संभागी संख्या, व्यापक राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सन 1988 :-

क्र.सं.	नाम शिविर केन्द्र	स्तर	प्रथम शिविर (13.6.88 से 22.6.88)	द्वितीय शिविर (24.6.88 से 3.7.88)
1.	डा.बुलोरिस-उमावि,उदयपुर	उमावि/मावि	शिविरा (छात्र) 50 --"-- (छात्रा) [illegible] अति शिविरा, कुम्भार-30	शिविरा (छात्र) - 40 --"-- (छात्रा) 20 अति. शिविरा, कुम्भार-40
2.	रा.उमावि-कांकरोली	--"--	शिविरा (छात्र) - 10 शिविरा (छात्रा)- 20 अति. शिविरा-राजसमंद,-20 अति. शिविरा-वल्लभनगर-20 संस्कृत शिक्षा- 30	शिविरा (छात्रा) - 10 [illegible] अति. शिविरा-राजसमंद- 50 अति. शिविरा-वल्लभनगर- 40
3.	रा.उमावि-कुम्भार	उमावि	शिविरा (छात्र) - 30 --"-- (छात्रा)- 20 अति. शिविरा-कुम्भार-30 अति. शिविरा-राजसमंद-18 उप शिविरा-2	शिविरा-छात्र- 30 --"-- (छात्रा) 20 अति. शिविरा-कुम्भार-40 अति. शिविरा-राजसमंद-10
4.	रा.उमावि-[illegible]	--"--	शिविरा (छात्र) 20 --"-- (छात्रा) 20 अति. शिविरा-वल्लभनगर-18 --"-- राजसमंद-20 संस्कृत शिक्षा-20 उप शिविरा-2	शिविरा (छात्र) 20 --"-- (छात्रा) 20 अति. शिविरा-वल्लभनगर-40 --"-- राजसमंद-20
5.	रा.महिला शिक्षक प्रशि.वि.उदयपुर	प्रावि	शिविरा (छात्र) 20 --"-- (छात्रा) 18 पंस-खेरवाड़ा-14/झाडोल-14/गिर्वा-14/ कुम्भार-14/शिप्रा-4/अ.उप-2	शिविरा (छात्र) 5 अति. शिविरा-वल्लभनगर-5 पंस.-राजसमंद-24/देवगढ़-14/आमेट-16/ खमनोर-16/भीम-13/शिप्रा-5
6.	राउमावि-कुराबड़	--"--	शिविरा (छात्र) 8 संस्कृत शिक्षा-30 अति शिविरा-राजसमंद-5 --"-- कुम्भार-2 अन्य उप शिविरा-2 पंस.-सराडा-16/[illegible]-15/रेलमगरा-16/ शिप्रा-3	पं.स.-भींडर-16/भीम-13/सराडा-16/मावली-16 कोटड़ा-15/सलूम्बर-16/शिप्रा-6

एसपी/-

परीक्षा व्यवस्था कक्षा 8 वर्ष 1987-88 :-

क्र.सं.	संभाग	केन्द्रीय विद्यालय	सम्मिलित विद्यालयों की संख्या			
			उमावि	मावि	उप्रावि	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	वि.शि.अ. उदयपुर	उमावि-[illegible], उदयपुर	1	3	6	10
		उमावि-[illegible] उदयपुर	1	3	6	10
		उमावि-[illegible], उदयपुर	1	3	6	10
		उमावि-[illegible]	1	5	7	13
		मावि-[illegible]	-	1	6	7
		उमावि-[illegible]	1	2	9	12
		मावि-[illegible]	-	2	8	10
		उमावि-[illegible]	1	4	9	14
		मावि-[illegible]	-	3	8	11
		उमावि-[illegible]	1	2	7	10
		उमावि-[illegible]	1	2	12	15
		उमावि-[illegible]	1	2	10	13
		मावि-[illegible]	-	1	8	9
		उमावि-[illegible]	1	-	8	9
		उमावि-[illegible]	1	1	9	11
		मावि-[illegible]	2	1	7	10
		मावि-[illegible]	-	2	4	6
		मावि-[illegible]	-	4	8	12
2	अति.जिशिअ [illegible]	उमावि-[illegible]	1	-	5	6
		उमावि-[illegible]	1	-	7	8
		उमावि-[illegible]	1	-	4	5
		मावि-[illegible]	-	1	6	7
		मावि-[illegible]	-	1	5	6
		मावि-[illegible]	-	1	3	4
		मावि-[illegible]	-	1	5	6
		मावि-[illegible]	-	1	5	6
		मावि-[illegible]	-	1	4	5
		उमावि-[illegible]	1	-	4	5
		उमावि-[illegible]	1	1	3	5
		मावि-[illegible]	-	1	3	4
		मावि-[illegible]	-	3	3	6
		मावि-[illegible]	-	3	3	6
		मावि-[illegible]	-	1	5	6
		मावि-[illegible]	-	1	2	3

[illegible]/-

क्र......

		मावि-अदपाल	-	1	3	4
		मावि-बेमुरा	-	1	5	6
		उमावि-केरपाडा	1	1	8	10
		उमावि-कल्याणपुर	1	-	4	5
		उमावि-ऋषभदेव	1	-	7	8
		उमावि-बावलवाडा	1	-	5	6
		उमावि- आडीवली	-	3	4	7
		मावि-बपाल	-	1	2	3
		मावि-छाणी	-	2	5	7
		मावि-कोयावाडा	-	1	3	4
		उमावि-पहाडिया	1	-	8	9
		मावि-झालोल[प]	-	3	6	9
		मावि-खाखड	-	1	2	3
		मावि-डोडा	-	3	2	5
[3]	जिला-शिक्षा राजसमंद	उमावि-राजसमंद	1	1	6	8
		उमावि-कांकरोली	1	3	4	8
		मावि-पीपली	-	1	4	5
		मावि-केलवा	-	2	5	7
		मावि-कुंवारिया	-	1	3	4
		मावि-पडारा	-	1	5	6
		उमावि-रेलमगरा	1	1	7	9
		मावि-धोइंदा	-	3	4	7
		उमावि-कुरज	1	-	4	8
		उमावि-मोलेला	1	1	5	7
		उमावि-केलवाडा	1	-	7	8
		मावि-मोरा	-	2	46	6
		उमावि-चारभुजा	1	2	4	7
		मावि-गामोडी	-	1	5	6
		उमावि-देवगढ	1	2	8	11
		उमावि-भीम	1	1	6	8
		मावि-बरार	-	3	5	9
		मावि-बस्साकिया	-	2	7	9
		मावि-टिकेर	-	2	5	7
		उमावि-आमेट	1	-	9	10
		उमावि-सरदारगढ	1	1	5	7
[4]	जिला-शिक्षा वल्लभनगर	उमावि-धरियावद	1	1	9	11
		मावि-भूपालगढ	-	2	5	7
		मावि-कुराबड	-	2	7	9
		उमावि-भीण्डर	1	1	8	10
		मावि-लिगा	-	1	5	6
		मावि-कानोड	-	1	5	6
		उमावि-खेरोदा	1	1	8	10
		उमावि-वल्लभनगर	1	2	8	11
		उमावि-फतहनगर	2	1	8	11

एसपी/-

	उमाधि-भाखी	1	1	[illegible]	11
	घाटा-उमाधि	1	-	10	11
	माधि-बातेराखा	-	3	[illegible]	11

उप्राथ निजी	कोषीपीर, उदय.	- आतला, उदयपुर	83
		- गुरुनानक, उदयपुर	103
			186

प्राथि राजकीय	बारीघाट, उदयपुर	73	सिटीघया भवन- 38	सिटी रा. -20	बड़ा बाजार नाथद्वार -299
	सेक्टरचार प्रवि	42	अम्बाकनगर - 40		
	भीलल, उदयपुर	83			
	सिटी न.8, उदयपुर	46			
	भूपाल, उदयपुर	38			
	धानमंडी, उदयपुर	53	सेक्टरचारथीप -66		
	लखी नाथेला, उदयपुर	43	प्रतापनगर, उदयपुर - 17		
	हाथीपोल, उदयपुर	45			
	कोशानगर, उदयपुर	45	हिरण मगरी से. 11- 45		
	वार्ड न.4, उदयपुर	175			
	सुंदियामेह, उदयपुर	53			
	मोहम्मद, नाथद्वारा	73			
	फतहनगर	[illegible]			
	राजनगर	100			
		942	206		

निजी	तैयारिया-खु.	162
	भीण्डर	187
	उदयपुर	176
	अंकुश उदयपुर	171
		694

सर्वयोग	4432	445	246	732

हसपी/-

[illegible] :-

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर के मनोवैज्ञानिक आधार प्रभाग-3 के तत्वावधान में जिले के 16 उमावि, 43 माध्यमिक एवं 3 उप्रावि में निर्देशन का सघन कार्यक्रम चल रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र:-

क्र.सं.	उमावि	क्र.सं.	मावि	क्र.सं.	मावि	क्र.सं.	उप्रावि
1.	रिखुण्ड	1.	बड़ाभाणुजा	18.	डाकली	1.	झामेट
2.	कोटड़ा	2.	बाघपुरा	19.	घोरिया	2.	धरियावद
3.	ऋषभदेव	3.	पीपली	20.	नाल		
4.	बेमाट	4.	देवपुरा	21.	मेरा		
5.	झामेट	5.	कानपुर	22.	सिसारमा		
6.	खेरवाड़ा	6.	डूंगरिया	23.	पुराणा		
7.	धारप्रा	7.	लाम्बोडी	24.	कावरा		
8.	कूल्ल	8.	कठार	25.	कोटड़ी		
9.	डायलगाडा	9.	डूंगाथल	26.	बरार		
		10.	झालीवाडी	27.	कनार		
		11.	भवानी	28.	कोठारिया		
		12.	बनेडिया	29.	बड़ावली		
		13.	धायला	30.	रिछेड़		
		14.	पारसोला	31.	कुन्थवा		
		15.	पीपलाशी	32.	केमारी		
		16.	कुरारा	33.	केवल		
		17.	केसरा	34.	चित्तौड़		

उदयपुर नगर क्षेत्र:-

क्र.सं.	उमावि	क्र.सं.	मावि	क्र.सं.	उप्रावि
1.	राजकीय उदयपुर	1.	प्रतापनगर	1.	राजकीय झाड़ोल
2.	फतह, उदयपुर	2.	सेवा शिक्षा		
3.	विद्याभवन	3.	धानमंडी		
4.	देबारी	4.	देलवाड़ा		
5.	नवनिकेतन	5.	विद्यानिकेतन		
6.	केसरपुरा	6.	जवाहर जैन वि.सं.		
7.	भूपाल नोबल्स, उदयपुर	7.	कस्तूरबा, वि.नि.		
		8.	अंजुमन		
		9.	सरस्वती वि.नि.		

क्रमशः/-

<u>वृक्षारोपण प्रगति विवरण</u> :- सत्र 1987-88

क्र.सं.	प्रारम्भ से अब तक बोये गये वृक्ष	कितने वृक्ष जीवित हैं	कितने वृक्ष समाप्त	पेड़ों की सुरक्षा हेतु प्रबंध
1.	18000	13681	4319	कांटेदार बाड़ लगाई

<u>हमारे गौरव पुरस्कृत शिक्षक</u> :- 1987-88 :-

क्र.सं.	नाम शिक्षक	पदस्थापन	पुरस्कृत स्तर
1.	श्री अम्बालाल मेहरी	अध्यापक-रामावि-धानमंडी, उदयपुर	राष्ट्र
2.	कु. श्री डा. योगेन्द्र अरोड़ा	प्रा. राबामावि-फतहनगर	राज्य
3.	श्री हरीश चन्द्र शर्मा	अनु. अधिकारी एस.आई.ई.आर.टी.,	राज्य
4.	श्री मोहम्मद हुसैन	प्रा. राप्रावि- बावड़, उदयपुर	राज्य

<u>जिला स्तरीय विज्ञान मेला-सत्र 1987-88, केन्द्र राउमावि-फतहनगर</u> :-

[प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा]

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	नाम छात्र/छात्रा	विद्यालय का नाम
1.	जल के गुणधर्म	कु. सुनीता शर्मा	राबाउमावि-रेजीडेंसी, उदयपुर
2.	जल प्रोजेक्ट	" मेघना सक्सेना	--"----"--
3.	महासागर	" निशा शुक्ल	राबाउमावि-जगदीशचौक उदयपुर
4.	प्रदूषण	श्री निरंजन शर्मा	राजमो.उमावि-उदयपुर
5.	जल एवं स्वास्थ्य	कु. विनीता जोशी	राबाउमावि-रेजीडेंसी उदयपुर
6.	पानी के उपयोग	" एकता पाटीदार	राबाउमावि-जगदीशचौक उदयपुर
7.	विज्ञान विषय	श्री राजीव शाह कु. कमल शर्मा	राजमो.उमावि-उदयपुर राबाउमावि-रेजीडेंसी-"-
8.	निबंध	श्री कैलाशचन्द्र लापटी	राउमावि-मावली

क्रमशः/-

उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की जिला स्तरीय विज्ञान शिक्षण प्रतियोगिता सत्र 1987-88:-

स्थान :- केशरपुरा, उमावि-उदयपुर

तिथि:- 5.2.1988

परिणाम:-

क्र.सं.	नाम अध्यापक	पदस्थापन	श्रेणी
1	श्री माधवलाल कुम्हार	राउप्रावि-कुण्डई (वल्लभनगर क्षेत्र)	प्रथम
2	श्री भैरुलाल पालीवाल	सरस्वती बाल निकेतन, उमावि कांकरोली	द्वितीय
3	श्री लाल सिंह चौहान	राउप्रावि-[illegible]	द्वितीय
4	श्री श्याम लाल [illegible]	राउप्रावि-नीमड़ी	तृतीय

क्षेत्र स्तरीय समान परीक्षा केन्द्र एवं क्षेत्र:-

जिले के 8 क्षेत्रों में समान परीक्षा व्यवस्था कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है। व्यवस्था की दृष्टि से समस्त क्षेत्र निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सत्र 87-88 में परीक्षा केन्द्र	निर्धारित क्षेत्र का नाम
1.	राउमावि-भीण्डर	पं.स. धरियावद, [illegible] एवं भीण्डर
2.	राउमावि-गोगुन्दा	पं.स. गोगुन्दा एवं कोटड़ा
3.	रा. फतह, उमावि-उदयपुर	उदयपुर नगर क्षेत्र
4.	राउमावि-कुराबड़	पं.स. [illegible], गिर्वा एवं बड़गांव
5.	राउमावि-राजसमन्द	पं.स. राजसमन्द, कुम्भलगढ़ एवं रेलमगरा
6.	राउमावि-आमेट	पं.स. आमेट, भीम एवं देवगढ़
7.	राउमावि-सलूम्बर	पं.स. सलूम्बर एवं सराड़ा
8.	राउमावि-खेरवाड़ा	पं.स. खेरवाड़ा, एवं झाडोल

क्रमशः/-

अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था उदयपुर जिला:- आधार तिथि:- 31 मार्च 1987

विद्यालय	प्रबंध	उर्दू	सिंधी	पंजाबी	गुजराती	मलयालम
उमावि	राजकीय	धंवरपदा, उदयपुर सूरजपोल, उदयपुर भोपालपुरा, उदयपुर नाथद्वारा कुम्भलगढ़ देवगढ़ भीण्डर सायरा सराड़ा	-	-	नाथद्वारा देवगढ़	-
उमावि	निजी	विद्याभवन, उदयपुर	अम्बामाता	-	-	-
मावि	राजकीय	मीरा, उदयपुर भुवाणा धानमंडी बड़ी सादड़ी	प्रतापनगर			
मावि	निजी	सेवांलिया संगम, उदयपुर कुंभानगर	-	-	-	-
उप्रावि	राजकीय	कोलपोल, उदयपुर नाथघाट भालामगरी सायरा पुराना स्टे. जिलो.का. प्रतापपुरा करावाड़ा मोतीमगरी, उद. मोतीचोक -"- देवगढ़ राजनगर धरियावद रावलीपोल-भीण्डर मिरच पोल-"-	सिंधी वि.	प्रतापपुरा	नई हवेली, नाथ. देवगढ़ करवाड़ा	

इतरपी/-

सत्र 1987-88 डी.ई.ओ. की शिक्षा योजना की उपलब्धियां:-

क्र.सं.	कार्यक्रम	उपलब्धियां
1.	अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम:-	
	[अ] राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1986 प्रशिक्षण केन्द्र-संख्या 6	- 1200 प्रशिक्षणार्थी
	[ब] कठपुतली प्रशिक्षण शिविर -भारतीय लोक कला मंडल, उदयपुर	- 10 संभागी
2.	बोर्ड परीक्षा परिणामोन्नयन	- बोर्ड परीक्षा परिणाम प्रतिशत

3. विद्यालय पत्रिकाओं का निर्माण:-

क्र.सं.	विद्यालय	हस्तलिखित	मुद्रित	योग
21.	उ.प्रा.वि.	7	-	7

4. विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताओं में जिले का संभागीत्व :-

क्र.सं.	नाम प्रतियोगिता	संभागीत्व	उपलब्धि
1.	जिला स्तरीय विज्ञान मेला	24 उमावि/मावि	3 विद्यालय प्रथम/द्वितीय
2.	विज्ञान पाठ प्रतियोगिता	6 अध्यापक	1. तृतीय प्रथम-1, द्वि-2 तृतीय-1
3.	राज्य स्तरीय अध्यापन प्रतियोगिता		

5. कक्ष परिवीक्षण :-

उमावि- 6 मावि- 19

6. शोध कार्य :- जिला स्तरीय शोध कार्य

7. कम्प्यूटर शिक्षा के विद्यालय[छात्र सेवायें]:-

राजकीय विद्यालय	मान्यता प्राप्त	योग
9	8	17

एसपी/-

जिले के विद्यालयीय योजनाओं में गठित कार्यक्रम व विद्यालय संख्या :-

क्र.सं.	नाम योजना	विद्यालय संख्या
1.	हिन्दी भाषा का प्रभावी शिक्षण	30
2.	गणित विषय का प्रभावी शिक्षण	12
3.	अंग्रेजी भाषा का प्रभावी शिक्षण	6
4.	संस्कृत भाषा का प्रभावी शिक्षण	2
5.	उपचारात्मक शिक्षण-गणित	18
6.	उपचारात्मक शिक्षण-अंग्रेजी	8
7.	वर्तनी सुधार -हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत	76
8.	सुलेख	15
9.	शब्द भंडार में वृद्धि-हिन्दी,अंग्रेजी	107
10.	उच्चारण सुधार	32
11.	लिखित मौखिक अभिव्यक्ति का विकास	9
12.	कविता कंठस्थ करना-हिन्दी,अंग्रेजी	6
13.	परीक्षा परिणाम सुधार -कक्षा 8	6
14.	लिखित कार्य मूल्यांकन	15
15.	बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार	27
16.	कम्प्यूटर शिक्षा	17
17.	पर्यावरण शिक्षा	2
18.	प्रश्नोत्तर योजना	2
19.	गृह कार्य प्रभावी [illegible]	8
20.	सुलेख का नियमित अभ्यास	80
21.	छात्र संख्या में अभिवृद्धि	6
22.	विज्ञान [illegible] सामग्री निर्माण	3
23.	रचनात्मक कार्य - हिन्दी	5
24.	शिक्षण सामग्री का अधिकतम उपयोग	2
25.	प्र.अ.द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण	7
26.	प्रयोग निष्ठ विज्ञान शिक्षण	4

एसपी/-

[illegible] शैक्षिक क्षेत्र:-

क्र.सं.	योजना का नाम	विद्यालय
1.	उत्सव एवं जयन्तियों का प्रभावी आयोजन	56
2.	भित्ति पत्रिका प्रकाशन	35
3.	सामान्य ज्ञान अभिवृद्धि	105
4.	प्रार्थना कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन	92
5.	विद्यालय गणवेश	3
6.	संचयिका/अल्पबचत	43
7.	पेरा [illegible]	8
8.	योगासन/व्यायाम	24
9.	विद्यालय प्रसारण	12
10.	पाठ्यसामग्री निर्माण	9
11.	समाचार कार्यक्रम	17
12.	खेलकूद की नियमित व्यवस्था	46
13.	शनिवारीय कार्यक्रम	21
14.	स्काउटिंग	39
15.	विद्यालय अनुशासन	3
16.	छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता	6
17.	वाचनालय व पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग	38
18.	नैतिक शिक्षण	15
19.	स्वास्थ्य परीक्षण	4
20.	भारतीय संस्कृति प्रचार कार्यक्रम	5
21.	जिम्नास्टिक	11
22.	राष्ट्रगीत/सामूहिक गीत/सामुदायिक गीत	13
23.	[illegible] (वादविवाद, कहानी, कविता, गीत, संगीत)	4
24.	अध्ययन क्लब का गठन	1
25.	शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन	2
26.	शैक्षिक भ्रमण/वन भ्रमण	21
27.	स्वास्थ्य संबंधी विज्ञापनों का निर्माण	1
28.	पशु-पक्षियों के चित्रों का संकलन	1
29.	पत्रवाचन [illegible]	1
30.	प्रयोगशाला का प्रभावी उपयोग	1
31.	समाचार वाचन एवं लेखन	14
32.	मानचित्र व चार्ट्स प्रदर्शन	22

[illegible]/- क्र....

प्रोजेक्ट क्षेत्र:-

क्र॰सं॰	नाम योजना	विद्यालय
1·	स्टेज निर्माण/सरस्वती मंदिर चबूतरा	12
2·	बाल वाटिका, नर्सरी लगाना, बगीचा निर्माण	53
3·	पेयजल व्यवस्था/पानी की टंकी	26
4·	मूत्रालय/शौचालय निर्माण	47
5·	श्याम पट्ट निर्माण	11
6·	विद्यालय भवन/कक्षा कक्ष/सभा कक्ष निर्माण	82
7·	वृक्षारोपण	42
8·	विद्यालय सजावट	49
9·	विद्यालय प्रांगण एवं सफाई	33
10·	विद्यालय भवन हेतु भूमि प्राप्त करना।	4
11·	विद्यालय बाउंड्री निर्माण	30
12·	बिजली व्यवस्था एवं पंखे लगाना	6
13·	साइकिल स्टैंड निर्माण	6
14·	छात्र पुस्तकालय	2
15·	फर्नीचर बनाना	6
16·	प्रवेशद्वार (फाटक) बनाना	2
17·	विद्यालय भवन में किवाड़/खिड़कियाँ आदि निर्माण	35
18·	भवन मरम्मत/सीढ़ी/कक्षाओं का रंग रोगन	40
19·	[illegible] एवं [illegible] बनाना	10
20·	माइक/रेडियो आदि उपकरण क्रय करना	1
21·	विद्यालय हेतु भूमि प्राप्त करना	3
22·	विद्यालय का नाम पट्ट बनाना	1
23·	विज्ञान प्रयोग शाला निर्माण	1
24·	गमले बनाना	1

कार्यानुभव:-

1·	साबुन बनाना	21
2·	चाक बनाना	6
3·	कागज की थैलियाँ व लिफाफे बनाना	5
4·	दन्त मंजन बनाना	4
5·	स्याही बनाना	1
6·	सिलाई कढ़ाई	4
7·	फाइल बनाना	1
8·	पत्तल दोने बनाना	1
9·	रस्सी एवं स्वेटर बुनना	2
10·	पतंगे व फिरैया बनाना	1

एसपी/-

9. 1988-89 के जिला शिक्षा योजना अन्तर्गत कार्यक्रम:-

जिला शिक्षा योजना सत्र 1987-88 की उपलब्धियों एवं वर्तमान सत्र 1988-89 में जिले के विद्यालयों द्वारा निर्मित वार्षिक संस्थागत योजनाओं में सूचित कार्यक्रमों के आधार पर इस सत्र के लिये निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित किये गये है :-

शैक्षिक क्षेत्र:-

1. अध्ययन कक्ष
2. कक्षा परिवीक्षण
3. विद्यार्थी मूल्यांकन
4. कक्षा 8 के लिये जिला बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा योजना।
5. मावि/उमावि स्तरीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन
6. जिला शिक्षा अनुसंधान वाक्पीठ वार्षिक योजना- 1988-89
7. प्रकाशन कार्य की वार्षिक योजना
8. प्र.अ. द्वारा परिवीक्षण
9. बोर्ड पत्र वाचन
10. विद्यालयों में भारतीय संस्कृति प्रसार कार्यक्रम
11. मानवीय मूल्य शिक्षण।
12. कॉम्पलेक्स विद्यालय
13. राष्ट्रीय शिक्षार्थी अनुर्वान कार्यक्रम, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा
14. जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में करणीय कार्य

सह शैक्षिक क्षेत्र:-

1. जिला खेल कूद साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम।
2. आन्तरिक मूल्यांकन परिवीक्षण योजना।
3. शारीरिक एवं स्वास्थ्य सेवायें।
4. विद्यालय पत्रिका प्रतियोगिता में सहभागीता वर्धन

भौतिक क्षेत्र:-

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

अन्य नियमित कार्यक्रम:-

1. जिला स्तरीय शैक्षिक भ्रमण योजना।
2. उप निरीक्षक उमावि/ मावि/उप्रावि/एवं प्रावि, प्र.अ. वाक्पीठ की वार्षिक योजना।
3. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा।
4. विद्यालय संगम।

हस्ता/-

-: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, उदयपुर :-

- : संदेश : -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शैक्षिक नवाचारों के क्रियान्वयन में प्रधानाध्यापकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानाध्यापकों की इस भूमिका को प्रभावशाली ढंग से सम्पादित कराने हेतु जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रधानाध्यापक वाकपीठ कार्यरत है। ये वाकपीठ अपने अपने स्तर से सम्बद्ध शैक्षिक, सह शैक्षिक, भौतिक एवं अन्यान्य कार्यक्रमों का विनिश्चय कर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रमों, विभिन्न नवाचारों एवं प्रायोजनाओं का निर्धारण कर उनकी योजना बनाते हैं और उनके क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य करते हैं।

प्रधानाध्यापक वाकपीठ समन्वय समिति यह कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक कर रही है। समिति द्वारा सन 1987-88 में निर्मित एवं प्रकाशित वार्षिक योजना की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

इन्हीं सन्दर्भों में वाकपीठ समन्वय समिति द्वारा सन 1988-89 के लिये निर्मित विस्तृत कार्य योजना प्रेषित की जा रही है। आइए, अदम्य विश्वास, दृढ़ निश्चय और पूर्ण निष्ठा के साथ इसकी प्रभावी क्रियान्विति का संकल्प करते हुये जिले की शैक्षिक गुणात्मकता को समुन्नत करें।

आशा ही नहीं प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि सन 1988-89 में भी जिले के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक योजनानुसार विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शैक्षिक योजनाओं, प्रायोजनाओं एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन कर उत्तम परिणामों एवं उच्च शैक्षिक उपलब्धियों की ओर शिक्षण संस्थानों को अग्रसर करेंगे।

(सतीशचन्द्र त्रिवेदी)
जिला शिक्षा अधिकारी
छात्र संस्थायें, उदयपुर

एसपी/-

- : कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र संस्थायें, उदयपुर :-

- : कार्यालय आदेश : -

शैक्षिक प्रशासन में माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सक्रिय एवं गुणात्मक सहयोग लेने की दृष्टि से श्रीमान् निदेशक महोदय-प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक:-शिविरा/नि.प्र./डी-1/22709/वाकपीठ/सेन/87-88/ दिनांक:-25.3.88 की अनुपालना में गत वर्ष की भांति सत्र 88-89 में भी उदयपुर जिले के माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक वाकपीठ की वार्षिक कार्य योजना एवं सम्बद्ध कार्यक्रम तैयार उच्चाधिकारियों को अग्रेषित किये गये हैं। इस योजना में वर्णित कार्यक्रमों को समयानुसार एवं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रभावोत्पादक ढंग से आयोजित एवं सम्पादित करने की दृष्टि से इस जिले के निम्नांकित अधिकारियों को उनसे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। वे सभी अधिकारी अपने से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होंगे तथा कार्य निर्दिष्ट तिथियों को योजनानुसार क्रियान्वित करने हेतु अपेक्षित अधिकारियों / अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करने एवं कार्य समापन के पश्चात सम्भागियों को उपस्थिति पत्र देने हेतु सक्षम होंगे।

संलग्न योजना के सभी प्रमुख संयोजकों को कार्य योजना में सह भागीत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों / अध्यापकों / शैक्षिक कर्मचारियों को उपस्थिति प्रमाण पत्र देने हेतु प्राधिकृत किया जाता है तथा उनके द्वारा देय उपस्थिति प्रमाण पत्रों को नियमानुसार वैधानिक मानने हेतु सभी सम्बन्धित कार्यालयों को आदेशित किया जाता है। सभी प्रमुख संयोजकों को अपने कार्य एवं प्रगति का विवरण सचिव माध्यमिक /उच्च माध्यमिक विद्यालय वाकपीठ एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक कार्य समाप्ति पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

सचिव माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय वाकपीठ को आदेशित किया जाता है, कि वे सभी संबंधित कार्यक्रमों की पूरी देख रेख करें एवं कार्य प्रगति का प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को समय समय पर प्रस्तुत करते रहें। इसके साथ ही वर्ष भर के कार्य की प्रगति का ब्यौरा तैयार कर अर्द्धवार्षिक / वार्षिक मूल्यांकन का लेखा तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा उच्च अधिकारियों को समयानुसार जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भिजवायें।

इस कार्यालय के उप जिला शिक्षा अधिकारी -सामान्य शाखा एवं शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वे वर्ष पर्यन्त इन योजनाओं की प्रगति के प्रति जागरूक रह कर कार्य निष्पादन में सचिव, जिला वाकपीठ उदयपुर का नियमित सहयोग करें।

इन कार्यक्रमों को सम्पादित करने हेतु की गई समस्त यात्राओं के लिये नियमानुसार यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्ता देय होगा। वाकपीठ की वार्षिक योजना की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित अधिकारियों को सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपते हुये प्राधिकृत किया जाता है।

क्र.......

एसपी/-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद/पदस्थापन स्थान	समिति
1.	श्री नियाज बेग मिर्जा प्रमुख संयोजक	आचार्य-रागुमो-उमावि-उदयपुर	खेलकूद प्रतियोगिता समिति
2.	श्री धर्माराम मीणा प्रमुख संयोजक	-"-रा.गो.उमावि-नाथद्वारा	सांस्कृतिक एवं साहि.कार्य.समिति
3.	श्री डा.जगदीश व्यास प्रमुख संयोजक	प्र.अ.रामावि-सपीनाखेड़ा	अनुसंधान वाकपीठ
4.	श्री मुरली मोहन शर्मा प्रमुख संयोजक	-"-राउमावि-केलवाड़ा	प्रकाशन समिति
5.	श्री आनन्द वैरागी प्रमुख संयोजक	-"-राउमावि-कुराबड़	स्वाध्याय क्षेत्रीय परीक्षा समिति
6.	श्री डा.मुकुन्द स्वरूप माथुर प्रमुख संयोजक	आचार्य-फतह, उमावि-उदयपुर	शैक्षिक प्रभाग समिति
7.	श्री डा.बी.एस.जोशी प्रमुख संयोजक	प्र.अ.उमावि-कांकरोली	सह परिवीक्षण समिति
8.	श्री कैलाश नारायण भटनागर प्रमुख संयोजक	प्रा.केसरपुरा, उमावि-उदयपुर	विद्यालय संकुल समिति
9.	श्री डा.जगदीश व्यास प्रमुख संयोजक	प्रा.रामावि-सपिनाखेड़ा	अध्ययनकृत एवं संदर्भ केन्द्र, समिति
10.	श्री मुरली मोहन शर्मा प्रमुख संयोजक	प्रा. उमावि-केलवाड़ा	वाकपीठ का संगोष्ठी-सं समन्वय कार्यक्रम एवं समस्त प्रवृत्तियाँ
11.	शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी एवं संयोजक जिला परीक्षा समन्वय समिति	जि.शि.अ.कार्या., उदयपुर	कक्षा 8 के लिये जिला बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा योजना समिति

जिला शिक्षा अधिकारी,
छात्र संस्थाये, उदयपुर

क्रमांक:-जिशिअ/उदय/सी-32/संप्र/स-वाकपीठ-2429/88/ दि:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक-प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज, बीकानेर
2. -"-एस.आई.ई.आर.टी, उदयपुर
3. उप निदेशक [पु/बालि] उदयपुरमण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा, उदयपुर
5. अतिरिक्त जि.शि.अ.-राजसमंद/सलुम्बर/धरियावद
6. प्रभारी जिला/संभाग, वाकपीठ-उदयपुर/सलुम्बर/वल्लभनगर/राजसमंद
7. प्रमुख संयोजक वार्षिक कार्य योजना एवं प्र.अ.------------
8. प्र.अ.उमावि/मावि/उप्रावि/प्रावि-----------------

[नसीरुद्दीन सिद्दीकी]
जिला शिक्षा अधिकारी, छात्र, उदयपुर

एसपी/-

- उदयपुर जिला उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक वाकपीठ, उदयपुर -

-: वार्षिक कार्य योजना 1988-89 :-

आमुख :-

भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना के कार्यकारी दलों के प्रतिवेदन, 10 अथवा 2 शिक्षा योजना एवं राज्य स्तरीय शैक्षिक संगोष्ठी, माउन्ट आबू की अभिशंसाओं के अनुरूप एवं श्रीमान् निदेशक महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राज, बीकानेर के आदेश क्रमांक:- शिविरा/नि.प्र./सी-1/22709/वाकपीठ/मेन/87-88 दिनांक:-25.3.88 की अनुपालना में गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्र 1988-89 की उदयपुर जिले की मा.वि., उमावि/उप्रावि/प्रावि वाकपीठ की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण एवं समस्त कार्यक्रमों की समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उच्चाधिकारियों को सम्प्रेषित की जा रही है ।

इस सम्पूर्ण योजना के अन्तर्गत लिये जा रहे कार्यों को गति देने एवं पूरा करने की दृष्टि से निम्नांकित अधिकारियों को इस योजना को प्रभावी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है ।

इस वार्षिक कार्य योजना की सफल क्रियान्विति के लिये सभी शिक्षा विदों/शिक्षकों का सहयोग अपेक्षित है । सभी प्रभारी अधिकारी योजना की क्रियान्विति के लिये समस्त कार्यवाही करने हेतु सक्षम एवं समर्थ होंगे तथा कार्य प्रगति के संबंध में श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर संबंधित प्रवृत्तियों के संचालन के लिये आदेश प्रसारित करवायेंगे तथा इसकी सूचना सचिव, मा.वि /उमावि, वाकपीठ को अनिवार्यतः देंगे । आवश्यक होने पर उनसे सम्पर्क स्थापित करेंगे । इसके साथ ही वर्षभर की कार्य प्रगति का विवरण तैयार कर संबंधित योजना का अर्द्धवार्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करवायेंगे ।

सत्र 1988-89 की इस वार्षिक कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित समितियों का गठन किया गया है :-

1. वाकपीठ का शैक्षिक समवाय कार्यक्रम एवं वाकपीठ संबंधी समस्त प्रवृत्तियां :-

1- श्री मुरली मोहन शर्मा-प्रमुख संयोजक - प्रधा. उमावि-देलवाड़ा
2- श्री शांतिलाल आमेटा-संभाग संयोजक - प्रधा. मावि- सेमड़ा
3- श्री राधाकृष्ण जोशी- संभाग संयोजक - प्रधा. मावि-[illegible]
4- श्री बंशी लाल बाबेलिया-संभाग संयोजक- प्रधा. मावि-[illegible]
5- श्री रियाज बेग मिर्जा-संभाग संयोजक - प्रधा. मावि - पनेरिया
6- श्रीमति सुरेन्द्र त्रिवेदी - महिला संभाग - प्रधा. बा.उमावि-रेलमगरा
7.-श्री बालकृष्ण जैन-संभाग संयोजक - प्रधा. राउप्रावि-रेलवे ट्रेनिंग, उदयपुर
8- श्री भंवरनाथ पुरोहित- संभाग संयोजक - प्रधा. राप्रावि- वार्ड नं.8, उदयपुर
9- श्री उप जिशिअ (सामान्य) कार्या. जिशिअ-उदयपुर, पदेन सदस्य
10-श्री शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी- कार्या. जिशिअ-उदयपुर, पदेन सदस्य
11-अध्यक्ष, जिला वाकपीठ मावि/उमावि-पदेन सदस्य ।

क्रमशः/- क्र...........

2. [illegible] समिति :-

1- श्री निजाम बेग मिर्जा- प्रमुख संयोजक -प्रधानाचार्य-मु.मो.उ.मा.वि.-उदयपुर
2- श्री सरदार अहमद-जिला संयोजक -उप जिशिअ-गोगुंदा
3- श्री जितेन्द्र पाल-प्रधानाध्यापक प्रभारी-उप जिशिअ [रा.शि.]
4- श्री शंभु सिंह झाला-सदस्य, प्रअ. राउमावि-[illegible]
5- श्री राधेश्याम व्यास - "-, प्रअ. राउमावि-[illegible]
6- श्री मकबूल अहमद- "-, प्रअ. रामावि- [illegible]
7- श्री कन्हैयालाल टेलर- "-, प्रअ. रामावि-[illegible]
8- श्री मीनू [illegible] - "-, प्रअ. राउमावि-[illegible]
9- श्री मफूर मोहम्मद- "-, प्रअ. प्रावि-[illegible]घाट, उदयपुर
10-श्री राम प्रसाद [illegible] -"-, उप जिशिअ [सामान्य] [illegible]
11-सचिव जिला [illegible] -"-, [illegible]

3. [illegible] समिति :-

1- श्री [illegible] मीणा - प्रमुख संयोजक - प्रधानाचार्य- राउमावि-नाथद्वारा
2- श्री गिरधारी लाल शर्मा-[illegible]- प्रअ. रामावि- [illegible]
3- श्री [illegible] - सचिव- राउमावि- नाथद्वारा
4- श्री सत्यदेव श्रीमाली - सदस्य - रामावि- पानेरियों की मादड़ी
5- श्री [illegible] - सदस्य - रामावि- [illegible]
6- श्री भगवान दास त्रिपाठी- सदस्य - मावि- [illegible]
7- श्री [illegible] वैरागी - सदस्य - मावि - [illegible]
8- श्री [illegible] पालीवाल- सदस्य- मावि - [illegible]
9- श्री [illegible] - सदस्य - प्रावि - [illegible], [illegible]
10- श्री [illegible] - सदस्य -प्रअ. प्रावि- [illegible]-उदयपुर
11-उप जिला शिक्षा अधिकारी [सामान्य] उदयपुर
12-शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिशिअ- उदयपुर

4. [illegible] :-

1- डॉ. जगदीश व्यास- प्रमुख संयोजक प्रअ रामावि [illegible], उदयपुर
2. डॉ. [illegible] कुमार [illegible] सदस्य अध्यापक राउमावि [illegible], उदयपुर
3. श्री मुरली मोहन शर्मा सचिव प्र.अ. [illegible] सदस्य, प्रअ रा.उ.मा.वि. [illegible]
4. श्री [illegible] सदस्य, प्र.अ. रा.मा.वि. [illegible]
5. डॉ. [illegible] शर्मा मार्गदर्शक [illegible]

5. [illegible] समिति :-

1. डॉ. [illegible] शर्मा [illegible]
2. श्री मुरली मोहन शर्मा प्रमुख संयोजक प्रअ रा.उ.मा.वि. [illegible]
3. श्री सत्यदेव श्रीमाली सचिव, प्र.अ. रा.मा.वि. पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर
4. अध्यक्ष जिला [illegible]
5. उप जि.शि.अ. [प्र.] उदयपुर
6. शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी, उदयपुर

6. सम्पादक मण्डल :-

1. डॉ जगदीश व्यास प्रधान सम्पादक प्रअ रामावि [illegible], उदयपुर
2. श्री श्याम मनोहर व्यास सम्पादक प्रअ राउमावि [illegible] ......

3. सदस्य - आठों केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष।

4. पदेन सदस्य - सचिव विद्या भवन पाठ्यपीठ

5. श्री डा॰ जगदीश व्यास सदस्य- प्र॰ मा॰वि॰ सोचनाखेडा, उदयपुर

6. उप जिला शिक्षा अधिकारी [सामान्य]

7. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी

7. शैक्षिक भ्रमण समिति:-

1. श्री मुकुन्द स्वरूप माथुर - प्रमुख संयोजक आचार्य पाठ अभावि, उदयपुर
2. श्री बलवन्त सिंह मेहता - क्रियान्वयन प्रभारी प्र॰ राउमावि सलुम्बर
3. श्री प्रकाश भटनागर- सदस्य उप जिला शिक्षा अधिकारी, अ॰ विवेक, उदयपुर
4. श्री नवरतन सिंह बलात - सदस्य प्र॰ रामावि झारापाल
5. श्री सम्पतलाल गडोपरा-सदस्य प्र॰ रामावि परोली
6. श्री रामचन्द्र अग्रवाल - सदस्य प्र॰ रा॰मा॰वि॰ देबारी
7. श्री फूलचन्द्र मारवेश- सदस्य प्र॰अ॰रा॰मा॰वि॰ रीछेड
8. श्री भवरलाल रेगर- सदस्य प्र॰अ॰ रामावि मगरा
9. श्री रामचन्द्र शर्मा - सदस्य प्र॰ राउप्रावि धरियावद
10. श्री भवरपुरी गोस्वामी- सदस्य प्र॰ रा॰प्रा॰वि॰ गोन्दया मेल, उदयपुर

8. मूल्यांकन परीक्षा समिति:-

1. डा॰ डी॰ एस॰ जोशी- प्रमुख संयोजक प्र॰ राउमावि काकरोली
2. श्री सोहनलाल व्यास क्रियान्वयन प्रभारी प्र॰ राउमावि मावली
3. श्री मूलचन्द नागोरी - सदस्य प्रधानाध्यापक रा॰मा॰वि॰ मोरा
4. श्री लक्ष्मीलाल जैन - सदस्य प्र॰अ॰ रामावि बाठेड़ाकला
5. श्री धर्मचन्द नागोरी - सदस्य- रामावि मेवाड़
6. श्री कालूलाल शर्मा- सदस्य- रामावि मजार
7. श्री भैरुलाल आमेटा- सदस्य- राउप्रावि देबारी
8. श्री भिखूलाल पोखरना- सदस्य- रा॰प्रा॰वि॰ तम्बारपाड़ा प्रवि

9. विद्यालय संकुल समिति:-

1. श्री कैलाशचन्द्र भटनागर, प्रमुख संयोजक प्र॰ राउमावि केसरपुरा, उदयपुर
2. श्री केसर पोखरना क्रियान्वयन प्रभारी प्र॰ राउमावि मावलि उदयपुर
3. श्री मोहन लाल वक सदस्य - प्र॰ रामावि सीवेर
4. श्री केसरलाल सोमपुरा सदस्य- प्र॰ रामावि परसाद
5. श्री करणसिंह मेहता सदस्य- प्र॰ रामावि छायला
6. श्री रमाकान्त आमेटा सदस्य- प्र॰ राउमावि [illegible]
7. श्री दामोदर कुमार लाल गुप्ता प्र॰ राउप्रावि मेड़ाकला
8. श्री मदनमोहन माथुर सदस्य- प्र॰ राप्रावि मालवास देवरी

10. आपातकालीन समिति:-

1. डा॰ जगदीश व्यास - प्रमुख संयोजक प्र॰ रामावि सोचनाखेडा, उदयपुर
2. श्री यमुनाकिशोर क्रियान्वयन प्रभारी प्र॰ राउमावि कुंभलगढ़
3. श्री दिलीपसिंह चौहान- सदस्य प्र॰ रामावि ताकरोदा [गिर्वा]

एसपी/-

क्रं॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

[illegible]
4. श्री देवेन्द्र कुमार भटनागर - सदस्य, प्र० रामावि-देवाली
5. श्री डा० राकेश जोश-सदस्य, प्र० मावि-फरारा
6. श्री शांतिलाल आमेटा-सदस्य, प्र०-मावि-बेमारी
7. श्री कैलाश लाल शर्मा-सदस्य, प्र०-मावि-बम्बोरा
8. श्री श्याम मोहम्मद शेख-सदस्य-प्र० मावि-बड़ी
9. श्री श्याम मनोहर व्यास-सदस्य-प्रउमावि- मिमला
10. श्री हरिशंकर व्यास-सदस्य-प्र० मावि-खेरा
11. श्री पन्नालाल जोशी-सदस्य-प्र० उमावि-धाणा
12. श्री चम्पालाल पालीवाल-सदस्य-प्र० मीरा-प्रावि-उदयपुर
13. श्री कृष्ण देव व्यास-सदस्य, प्रावि-ठक्कर बाबा कॉलोनी, उदयपुर

हस्ती/-

- अध्ययन वृत्त की वार्षिक योजना, सत्र -1988-89 -

आवश्यकता एवं महत्व :-

शिक्षा एक गतिशील एवं सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। स्वाध्याय शिक्षा का प्रमुख अंग है। शिक्षा प्रक्रिया में समय के साथ निरन्तर परिवर्तन, परिवर्धन एवं अभिनव प्रयोग होते रहते हैं।

ज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न आयामों, सूचनाओं तथा तथ्यों की तीव्र अभिवृद्धि से शिक्षक सम्बद्ध रहे एवं चिन्तन के प्रवाह को सतत गतिमान रखे इस दृष्टि से अध्ययन वृत्तों की स्थापना की नितान्त आवश्यकता है। शिक्षा के नये आयामों से परिचित कराना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

कार्यक्रम:-

अध्ययन वृत्त की स्थापना एवं प्रभावी संचालन।

वर्तमान स्थिति :-

सत्र 1988 में यह योजना ली गई तथा किसी न किसी रूप में यह कुछ विद्यालयों में चलती रही है। [illegible] में नौ सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय स्तर पर माह में दो बार शैक्षिक चर्चाओं का प्रावधान रखा गया है।

लक्ष्य :-

(1) जिले के 10 उच्च माध्यमिक व 20 माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन वृत्त की स्थापना कर उसका संचालन करना (सूची संलग्न है)।

(2) जिले के प्रत्येक अध्ययन वृत्त की सत्र में 6 बैठकों का आयोजन करना।

अध्ययन वृत्त का स्तर :-

(1) विद्यालय स्तर।
(2) नगर/कस्बा/संगम स्तर/संभाग स्तर
(3) जिला स्तर।

विद्यालय स्तर:-

अध्यक्ष - संस्था प्रधान
प्रभारी - स्टाफ सदस्य
सदस्य - विद्यालय के शिक्षक

नगर/कस्बा/संगम स्तर:-

अध्यक्ष - संस्था प्रधान (केन्द्रीय विद्यालय)
प्रभारी - व.अ./व्याख्याता (केन्द्रीय विद्यालय)
सदस्य - प्रा.वि./उ.प्रा.वि./मा.वि./उ.मा.वि. के शिक्षक

जिला स्तर:-

संरक्षक - जिला शिक्षा अधिकारी महोदय
अध्यक्ष - चयन द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, महोदय
सचिव - शैक्षिक प्रकोष्ठ प्रभारी
सदस्य - विषय समितियों के संयोजक एवं नगर/कस्बा/संगम के अध्यक्ष।

एकपी/- ३.......

क्रियान्विति के चरण :-

विद्यालय / स्तर / कक्षा / कैम्प स्तर पर :-

क्र.सं.	क्रिया पद	प्रभारी	पद पूर्ति की तिथि
(1)	1. वृत्त का गठन 2. वार्षिक योजना का निर्माण	संस्था प्रधान	30.7.88
(2)	योजनानुसार कार्य पूर्ति	प्रभारी	प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी दिन योजनानुसार
(3)	प्रतिवेदन तैयार करना	प्रभारी द्वारा	बैठक समाप्ति के पांच दिन में
(4)	मूल्यांकन- 1. आधार 2. तिथियां ए. अर्धवार्षिक बी. वार्षिक		योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ए. 30.11.88 तक बी. 29.4.89 तक
(5)	प्रतिवेदन	प्रभारी	10.5.89 तक

क्रियान्विति के चरण :- जिला स्तर -

क्र.सं.	चरण	प्रभारी	लक्ष्यपूर्ति तिथि
(1)	विषय समितियों का गठन	शैक्षिक प्रकोष्ठ	15.7.88 तक
(2)	विषय समितियों की प्रथम बैठक एवं योजना निर्माण	संयोजक विषय समिति द्वारा	10.8.88 तक
(3)	योजनानुसार बैठक आयोजन एवं कार्य सम्पादन	संयोजक विषय समिति	31.12.88 तक
	मूल्यांकन 1. आधार 2. तिथियां ए. अर्धवार्षिक बी. वार्षिक		योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 31.12.88 तक 29.4.88 तक

मूल्यांकन :-

विभिन्न स्तर के अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति प्रतिशत के अनुसार एवं क्रियान्वयन की संख्या / मात्रा के अनुसार किया जायेगा ।

विद्यालय/स्तर/कक्षा/कैम्प स्तर के अध्ययन वृत्त के संभावित कार्य:-

(1) पत्र वाचन ।

(2) किसी पुस्तक/रचना की समीक्षा ।

(3) शिक्षाकल्प /शिविरा सम्पादकीय व अन्य शैक्षिक सम्पादकीय पर चर्चा/परिचर्चा ।

(4) शैक्षिक नवाचारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर चर्चा एवं परिचर्चा ।

क्रमशः/-

(5) [illegible](पी व एन ई आई) वार्ता/परिचर्चा ।
(6) विशेषज्ञों की वार्ता ।
(7) आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षिक वार्ता पर चर्चा ।

[illegible] (अकादमिक कार्य) :-

(1) कक्षा छठी से ग्यारहवीं (6से11) तक की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा ।
(2) शिक्षा-अध्यापकों के लिये किये जाने वाले अभिनवीकरण कार्यक्रम हेतु संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध कराना ।
(3) बोर्ड कक्षाओं के लिये आदर्श प्रश्न तैयार करना ।
(4) प्रश्न पत्रों का विश्लेषण ।
(5) विद्यार्थी केन्द्रित अधिगम के आयाम ।
(6) शिक्षा-अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधाओं से अवगत कराना ।

नोट :- अध्ययन केन्द्र पर बाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर भी उनकी वार्तायें, प्रवचन आयोजित करवाये जा सकते है ।

प्रबंध :-

प्रमुख संयोजक :- श्री आर. [illegible] व्यास-प्र.अ. रा.मा.वि.-[illegible], उदयपुर
संयोजक :- श्री [illegible]-प्र. रा.उ.मा.वि.-[illegible]
सदस्य :- श्री [illegible] सिंह चौहान-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- [illegible] कुमार [illegible]-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- आर. [illegible]-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- [illegible] लाल [illegible]-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- [illegible] लाल शर्मा-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- [illegible]-प्र. रा.मा.वि.-[illegible]
- श्याम मनोहर व्यास-प्र. रा.उ.मा.वि.-[illegible]
- [illegible] लाल [illegible]-प्र., मंडल, मा.वि.-उदयपुर
- [illegible]-प्र. रा.प्रा.वि.-[illegible]
- [illegible] लाल [illegible]- प्र. रा.उ.मा.वि.-[illegible] ([illegible])
- [illegible] व्यास-प्र.अ. रा.मा.वि. [illegible] (खेरवाड़ा)

[illegible] सूची :-

उदयपुर विभाग :- उ.मा.वि.
(1) रा.गु.गो.सि.उ.मा.वि.-उदयपुर
(2) रा.उ.मा.वि.-[illegible]

मा.वि.
(1) [illegible] (2) [illegible]
(3) [illegible] (4) [illegible]
(5) पनेरियों की मादड़ी
(6) [illegible]

[illegible] विभाग :-
(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]

(1) [illegible] (2) [illegible]
(3) [illegible] (4) [illegible]

[illegible] विभाग :-
(1) [illegible] (2) [illegible] (3) [illegible]

(1) [illegible] (2) [illegible]
(3) [illegible] (4) [illegible]
(5) [illegible] (6) [illegible]

[illegible] विभाग :-
(1) [illegible] (2) [illegible]

(1) [illegible] (2) [illegible]
(3) [illegible] (4) [illegible]

हरजी /- [illegible]........

- जिला स्तरीय दल परिवीक्षण योजना - 1988-89 -

वर्तमान स्थिति :-

निदेशक जी के निर्देशानुसार तीन वर्षो मे सभी विद्यालयो के दल परिवीक्षण के निमित्त सत्र 87-88, 88-89 व 89-90 के लिये विद्यालयो का चयन किया जा चुका है । सत्र 87-88 मे अकाल की स्थिति को मद्देनजर रखते हुये निर्दिष्ट सभी विद्यालयो का दल परिवीक्षण सम्भव नहीं हो सका । अत: सत्र के शेष विद्यालयो का भी दल परिवीक्षण सत्र 88-89 मे किया जाना अपेक्षित है ।

उद्देश्य:-

1. विद्यालयो के परीक्षा परिणामो का उन्नयन ।
2. दल परिवीक्षण के माध्यम से विद्यालय मे नव चेतना जागृत करना ।
3. विद्यालय की विभिन्न गतिविधियो मे मार्ग दर्शन प्रदान करना ।
4. विद्यालय की विशेषताओं एवं उपलब्धियो तथा कमियो से प्रशासन को अवगत कराना ।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य मे विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमो का मूल्यांकन ।

लक्ष्य:-

1. जिले के 5 प्रतिशत न्यूनतम, 5 प्रतिशत अधिकतम परीक्षा परिणाम वाले विद्यालय व 10 प्रतिशत चयनित विद्यालयो का अकादमिक दल परिवीक्षण करना ।
2. जिले के 10 प्रतिशत उच्च माध्यमिक तथा 10 प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयो का दल परिवीक्षण करना ।
3. निष्णात विषय अध्यापको एवं अनुभवी प्रधानाध्यापको द्वारा परिवीक्षण दलो का जिला स्तर पर गठन करना ।
4. दल परिवीक्षण का क्रियान्वयन अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 1989 तक अनिवार्यत: सम्पन्न करना एवं प्रतिवेदनो की समीक्षा कर सार क्षेत्र से वाक्पीठ के सदस्यो को अवगत कराना ।
5. दल परिवीक्षण कार्यक्रम माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयो मे दो दिवसीय होंगे एवं उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयो मे एक दिवसीय होंगे ।

परिवीक्षण दल का गठन :-

1. संयोजक :- परिवीक्षण वाले विद्यालय से वरिष्ठ होगा ।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालय मे एक संकाय वाले विद्यालय मे 3 सदस्य ।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालय मे दो या दो से अधिक संकाय वाले विद्यालय मे 5 सदस्य होंगे ।
4. माध्यमिक विद्यालय मे तीन सदस्य ।
5. उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालय मे दो सदस्य होंगे ।

दल परिवीक्षण समिति :-

प्रमुख संयोजक :- श्री डा॰ बी॰ एल॰ जोशी - प्र॰ उमावि - कांकरोली
क्रियान्वयन प्रभारी :- श्री मोहन लाल व्यास - प्र॰ उमावि - मावली

सदस्य:-
1. श्री मूलचंद नागोरी - प्र॰ अ॰ रामावि - मोरा
2. " जमीलाल जैन - प्र॰ अ॰ रामावि - बाठेडा
3. " प्रेमचंद नागोरी - प्र॰ अ॰ रामावि - भेदार

क्रमशः

4. श्री फूलचंद शर्मा-प्र०रा०मा०वि०-मदार
5. " भंवर लाल आमेटा-प्र०उ०प्रा०वि०-बेमला
6. " मीठालाल पोखरना-प्र०प्रा०वि०-कम्हारवाड़ा ग्राम, उदयपुर

क्र.सं.	पद का नाम	प्रभारी	पद पूर्ति तिथि
(1)	क्रिया परीक्षण क्रियान्वयन समिति की बैठक	प्रमुख संयोजक	16.7.1988
(2)	क्षेत्रीय अधिकारियों से बोर्ड परिणामों की सूचना	समिति एवं शैक्षिक प्रकोष्ठ	30.7.1988
(3)	परीक्षण पत्रों का निर्माण एवं आदेशों का प्रकाशन एवं प्रपत्र संदर्भ शोध को भेजना ।	-"-"-"-	20.8.1988
(4)	क्रिया परीक्षण का आयोजन व प्रतिवेदन तैयार करना ।	विभिन्न दल	1 अक्टूबर से 15 जनवरी 89
(5)	क्रिया परीक्षण के प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा करना एवं सार लेख का प्रकाशन ।	प्रमुख संयोजक	30.1.1989
(6)	परीक्षित विद्यालयों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त करना ।		15.2.1989

<u>प्राप्त सूचनाएँ</u> :-

क्षेत्रीय अधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निम्न लिखित सूचनाएँ प्राप्त की जायेंगी :-

(1) क्षेत्र के विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम ।

(2) क्षेत्र के शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षकों की सूचियाँ प्राप्त करना ।

(3) क्षेत्र से क्रिया परीक्षण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची ।

<u>मूल्यांकन</u> :-

क्रिया परीक्षण की संख्या एवं स्तर के आधार पर एवं प्रतिवेदनों की अनुपालना के आधार पर मूल्यांकन होगा ।

यह मूल्यांकन परीक्षण समिति द्वारा कराया जायेगा ।

— —

Sub. National Systems Unit,
National [illegible] of Educational
[illegible] Delhi-110[illegible]
D-5507
11/1/90

स्वपी/-

- विद्यार्थी मूल्यांकन योजना सत्र 88-89 ,प्रश्न पत्र व्यवस्था एवं परीक्षा -

वर्तमान स्थिति:-

वर्तमान में उदयपुर जिले की परीक्षा व्यवस्था विभिन्न 8 खण्डो में संचालित हो रही है ये खण्ड निम्नानुसार है ।

|1| उदयपुर ग्रामीण - उच्च मा॰वि॰ - डबोक
|2| उदयपुर नगर - फतह,उमावि-उदयपुर
|3| वल्लभनगर-भीण्डर - रा॰उ॰मा॰वि॰,वल्लभनगर
|4| खेरवाड़ा-झाड़ोल - रा॰उ॰मा॰वि॰,खेरवाड़ा
|5| वल्लभनगर-भीण्डर - रा॰उ॰मा॰वि॰,भीण्डर
|6| गोगुन्दा-कोटड़ा - रा॰उ॰मा॰वि॰,गोगुन्दा
|7| राजसमंद-रेलमगरा-कुम्भलगढ़ - रा॰उ॰मा॰वि॰-राजसमंद
|8| देवगढ़-आमेट-भीम - रा॰उ॰मा॰वि॰ आमेट

ये आठो केन्द्र कक्षा तीसरी से ग्यारहवीं तक अपने-अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों की छात्र संख्या के अनुसार अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की समुचित व्यवस्था करते रहे है । केन्द्रीय स्तर पर ही परीक्षा व्यवस्था हेतु निर्मित समिति के माध्यम से निविदायें आमंत्रित कर उन्हें स्वीकार करना,प्रश्न पत्र निर्माण मोडरेशन कराना,छपाई करवाना,विद्यालयों में पहुंचाना,शुल्क संग्रह एवं हिसाब रखने का समस्त कार्य सम्पादित हो रहा है । समय-समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होने पर पाठ्यक्रम का विभाजन कर छपवाकर विद्यालयों में पहुंचाये जाते रहे है ।

उद्देश्य:-

|1| जिले में मूल्यांकन के स्तर में समानता लाना ।
|2| जिला स्तर पर आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण करना ।
|3| आदर्श प्रश्न पत्रों के आधार पर कतिपय प्रमुख विषयों के प्रश्न बैंक तैयार करना
|4| माध्यमिक कक्षाओं के लिये नैदानिक परख पत्र तैयार करना ।
|5| प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करना ।

लक्ष्य:-

|1| आदर्श प्रश्न पत्रों के निर्माण की व्यवस्था करना ।
|2| विभागीय पंचांग के आधार पर निर्धारित तिथियों में परीक्षा का संचालन क
|3| परिवर्तित पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन कर जुलाई 1988 के अंत तक सभी विद्यालयों में पहुंचाना ।
|4| बोर्ड की कक्षाओं के हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान के नैदानिक परख पत्रों को |जिला अनुसंधान पाठ्पीठ द्वारा निर्मित| छपवाना एवं विद्यालयों में पहुंचाना ।
|5| कक्षा 9 के लिये हिन्दी,गणित,अंग्रेजी ,सामाजिक,सामान्य विज्ञान विषय एवं कक्षा 8 के लिये हिन्दी,अंग्रेजी,गणित विषय के प्रश्न बैंक का निर्माण ,प्रकाशन एवं वितरण करवाना ।

क्रमशः/-

2......

जिला स्तरीय परीक्षा समिति :-

[1] मुख्य संयोजक – श्री आनन्दीलाल बैरागी – प्रधा० उमावि– कुराबड़
[2] परीक्षा सचिव – श्री सत्यदेव श्रीमाली – प्रधा० मावि – पानेरियों की मादड़ी
[3] सदस्य :- आठों केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष
[4] पदेन सदस्य – सचिव जिला वाकपीठ
[5] सदस्य – डा० जगदीश व्यास, प्रधा० मावि–नौवा खेड़ा
[6] उप जिला शिक्षा अधिकारी [छात्रा], शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, उदयपुर

क्रियान्वयन के चरण :-

क्र.सं.	क्रिया पद	प्रभारी	पद पूर्ति तिथि
[1]	जिला परीक्षा समन्वय समिति की प्रथम बैठक	जिला स्तरीय परीक्षा समिति	26·7·88
[2]	परिपत्रित शिक्षकों के पाठ्य-क्रम का मासिक विभाजन एवं विद्यालय में पहुँचाना।	---"---	31·7·88
[3]	जिला स्तर पर निविदाओं का आमंत्रण करना एवं निविदायें मंगवाना एवं केन्द्रों पर निविदायें खोलना।	जिला संयोजक एवं सचिव परीक्षा समिति	16·8·88 से 15·9·88 तक
[4]	प्रश्नों का निर्माण, परिमार्जन एवं अनुमोदन	प्रत्येक केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष	19·9·88 से 24·9·88 तक
[5]	प्रश्न बैंक हेतु कार्यक्रम निर्धारण	संयोजक समन्वय समिति	30·9·88
[6]	प्रश्न बैंक हेतु प्रश्न बनवाना	---"---	10·10·88 तक
[7]	प्रश्न बैंक से प्रश्नों का चयन	---"---	15·10·88 तक
[8]	अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों को मुद्रण हेतु प्रेस में भेजना	प्रत्येक केन्द्र के केन्द्राध्यक्षों द्वारा	10·10·88 तक
[9]	अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की प्राप्ति	---"---	30·11·88 तक
[10]	विद्यालयों में प्रश्न पत्रों का वितरण करना।	---"---	5·12·88 तक
[11]	अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन	प्रत्येक विद्यालय	8·12·88 से 20·12·88 तक
[12]	संघ द्वारा निर्मित नैदानिक परख पत्रों को छपवाना	समन्वय समिति	10·11·88 तक
[13]	अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित करना।	प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों की परीक्षा समिति	15·1·89 तक

स्वपी/–

क्र.......

[14]	वार्षिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम निर्धारण के लिये परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक	समन्वय समिति	23-12-88
[15]	प्रश्न बैंक के प्रश्नों को छपवाकर एवं नैदानिक परख पत्रों को प्रत्येक विद्यालय में परीक्षा केन्द्रों के माध्यम से भेजना ।	परीक्षा समन्वय समिति	5-1-89 तक
[16]	वार्षिक परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र निर्माण एवं अनुशीलन	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र	8-2-89 तक
[17]	प्रश्न पत्रों के मुद्रण की व्यवस्था एवं प्रेस को प्रेषण	-------"------	20-2-89 तक
[18]	कक्षा 8 के जिला बोर्ड की व्यवस्था हेतु बैठक	परीक्षा समन्वय समिति	22-2-89
[19]	प्रश्न पत्रों की प्राप्ति	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र	10-4-89 तक
[20]	प्रश्न पत्रों को विद्यालयों में भेजना	-------"------	15-4-89 तक
[21]	वार्षिक परीक्षा का आयोजन	-------"------	20 अप्रैल 89 से 7 मई 89 तक
[22]	प्रश्न पत्रों के डील की समीक्षा एवं सुधार हेतु परीक्षा समिति की तृतीय बैठक	-------"------	10 मई 89 तक
[23]	जिला स्तरीय परीक्षा समिति की तृतीय बैठक	जिला परीक्षा समिति	11 मई 1989
[24]	जिला बोर्ड [कक्षा-8] के पूरक परीक्षा के प्रश्न पत्रों की व्यवस्था	जिला बेसिक	21 मई 1989
[25]	प्रकाशित प्रश्न पत्रों की समीक्षा एवं विश्लेषण करवाना एवं समीक्षा पत्रों का प्रकाशन ।	जिला समन्वय समिति	ग्रीष्मावकाश में मई89 के तृतीय सप्ताह में ।
[26]	प्रतिवर्ष की आय-व्यय का आंकलन	विद्यालय स्तर विभागीय लेखाकार द्वारा	ग्रीष्मावकाश में

साधन सुविधा:-

[1] ब्लाक स्तर पर सैद्धान्तिक विद्यालयों के माध्यम से जुटाई जायेगी ।

[2] जिला स्तरीय मुद्रण कार्य हेतु प्रत्येक केन्द्र अनुपातिक आधार पर सहयोग करेगा ।

[3] प्रश्न पत्र निर्माण प्रशिक्षण हेतु शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय विद्याभवन, ब्लाक एवं मूल्यांकन विभाग उर्फ सेलाओं से लिया जायेगा ।

एसपी/-

पृ....

मूल्यांकन :-

(1) समस्त क्षेत्र के प्रश्न पत्रों का समीक्षात्मक मूल्यांकन जिला स्तरीय परीक्षा समिति द्वारा विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाकर मूल्यांकन किया जायेगा ।

(2) समस्त क्षेत्रों से परीक्षा केन्द्रों के प्रतिवेदन मंगवाकर तदनुसार समन्वयक के माध्यम से मूल्यांकन कराया जायेगा ।

विशेष :-

(1) जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों की एक सूची तैयार की जायेगी और उसका उपयोग प्रश्न पत्र निर्माण प्रशिक्षण, बैंक आईटम प्रश्न पत्रों के विश्लेषण में किया जायेगा ।

(2) प्रत्येक केन्द्र अपनी आय व्यय का लेखा जनपदीय विद्यापीठ में प्रस्तुत करेगा

(3) प्रत्येक उक्त स्तर पर परीक्षा समिति में शैक्षिक संघ के सचिव पदेन सदस्य होंगे । उक्त स्तर पर प्रा०शि० परीक्षा समिति में जनपदीय संघ प्रतिनिधि को भी प्रतिनिधित्व दिया जाये ।

एसपी/-

- कक्षा 8 के लिये जिला बोर्ड की प्रस्तावित परीक्षा योजना -1988-89 -

वर्तमान स्थिति :-

विगत दो वर्षों से केन्द्रीय विद्यालयों के अन्तर्गत 8-10 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इन विद्यालयों से सम्बद्ध कर कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती रही है। इससे कक्षा 8 स्तर पर प्रभावी शिक्षण की शुरुआत हुई है उसमें और अधिक गुणवत्ता लाने की दृष्टि से इस योजना को पुनः जिला योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। सत्र 1988-89 में इस व्यवस्था में मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं को शामिल कर समरूपता लायी जानी अपेक्षित है।

उद्देश्य :-

(1) कक्षा 8 के शिक्षण स्तर को उन्नत करना।
(2) कक्षा 8 के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन करना एवं उसे विश्वसनीय बनाना।
(3) "राष्ट्रीय शिक्षा नीति" के माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को ग्रहण करने की क्षमताओं का बालकों में विकास करना।

क्रियान्वयन के चरण :-

क्र.सं.	क्रिया पद	प्रभारी	पद पूर्ति की तिथि
(1)	कक्षा 8 के पाठ्यक्रम विभाजन की सूचना विद्यालयों को प्रेषित करना।	प्रमुख संयोजक जिला परीक्षा व्यवस्था	31.1.88 तक
(2)	संभाग स्तर पर विषयाध्यापकों की सूची का अंकन।	संभागीय संयोजक	31.8.88
(3)	प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिये "मानकीकरण" कर पैनल तैयार करना।	संभाग स्तर पर	10.9.88 तक
(4)	संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना (एस.आई.ई.आर.टी., विद्याभवन, ब्लॉक तथा डाइट)	प्रमुख संयोजक	14.9.88 तक
(5)	प्रश्न पत्र निर्माताओं के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एवं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु निर्देश वितरण।	चयनित केन्द्रों पर	22से24.9.88
(6)	प्रश्न पत्र निर्माण एवं प्राप्ति		30.9.88 तक
(7)	जिला स्तर पर मौखिक परीक्षाओं के नमूने की प्रश्नावलियों का निर्माण, उनका मुद्रण एवं केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से वितरण।	केन्द्रीय विद्यालय	8.10.88 तक
(8)	प्रश्न पत्र संशोधन	—"—"—	13.10.88
(9)	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय समूह का निर्माण	—"—"—	26.11.88
(10)	अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण।	केन्द्र स्तरीय संयोजक	5.12.88

क्रमशः/-

पृ.......

(11)	वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण ।	क्षेत्र स्तरीय संयोजक	11-2-89
(12)	प्रश्न पत्रों का जिलेवार बैच मुद्रण हेतु प्रेस को देना ।	-"-"-	18-2-89
(13)	प्रेस से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था ।	-"-"-	8-4-89
(14)	प्रश्न पत्र वितरण करने की व्यवस्था	-"-"-	17-4-89
(15)	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति परीक्षा अवधि तक	केन्द्राध्यक्ष	17-4-89
(16)	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार कर विद्यालयों को भेजना ।	केन्द्रीय विद्यालय	10-5-89
(17)	विद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा ।	संबंधित विद्यालय	12-5-89
(18)	विद्यालय स्तर पर पूरक परीक्षाओं का आयोजन ।	-"-"-"-	विभागीय पंचांग के अनुसार ।
(19)	पूरक परीक्षाओं की घोषणा	-"-"-"-"-	14-7-89

विभागीय प्रभारी :-

शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से श्री आनन्द पेरामी-प्रमुख संयोजक, जिला परीक्षा समन्वय समिति ।

सचिव- श्री सत्यदेव श्रीमाली - प्रा० शाला - राजेन्द्रियो की मालकी, उदयपुर

सदस्य- सभी आठों केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष

पदेन सदस्य- सचिव जिला पाक्पीठ

मूल्यांकन :-

अन्त में निरीक्षण केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा ।

हस्ता/-

- जिला शिक्षा अनुसंधाता वाक्पीठ, जयपुर, योजना सन 88-89 -

वर्तमान स्थिति:-

जिले में जिला केन्द्र स्तर से अनुसंधाता वाक्पीठ सक्रिय है । सन 1972-73 से 1987-88 तक अनेक स्थानीय एवं जिला स्तरीय शोध कार्य इस वाक्पीठ द्वारा आयोजित किये गये हैं । सन 1987-88 में वाक्पीठ द्वारा 21 शोध कार्य व्यक्तिगत स्तर पर तथा 4 शोध कार्य समूह स्तर पर लिये गये । राज्य में अकाल तथा साधनों की कमी हो जाने से सभी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सके ।

उद्देश्य:-

(1) जिले के शिक्षकों में शैक्षिक अनुसंधान के प्रति रुचि जाग्रत करना तथा उन्हें दृष्टि से सक्षम बनाना ।

(2) जिले की शैक्षिक समस्याओं को ज्ञात कर उन पर अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देना ।

लक्ष्य:-

सन 1988-89 के लिये तीन निदानात्मक परख [प्राथमिक] विज्ञान, हिन्दी तथा गणित के शोध उपकरण निर्माण करना, व्यक्तिगत एवं समूह शोध कार्य [अधिकतम 5] का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

क्रियान्वयन योजना :-

क्र.सं.	क्रियान्वयन चरण	प्रभारी	पूर्ति तिथि
(1)	प्रारम्भ संगोष्ठी की तैयारी के लिये बैठक ।	वाक्पीठ कार्यकारिणी तथा शोध विशेषज्ञ	20.7.88
(2)	अनुसंधाता वाक्पीठ की प्रारम्भिक संगोष्ठी के आयोजन हेतु पत्र प्रेषण	सचिव वाक्पीठ एवं शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी	15.8.88 तक
(3)	अनुसंधाता वाक्पीठ की प्रारम्भ संगोष्ठी का आयोजन ।	सचिव अनु.वाक्पीठ	7.9.88 तक
(4)	उपकरण निर्माण	शैक्षिक प्रायोजना समन्वयक	29.9.88 तक
(5)	दत्त संकलन	-"-"-	30.10.88 तक
(6)	दत्त सारणीयन एवं विश्लेषण	-"-"-	30.11.88 तक
(7)	अनुसंधाता वाक्पीठ की मध्य सत्रीय संगोष्ठी का आयोजन (कार्य प्रगति [illegible] कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु)	अनुसंधाता वाक्पीठ	31.12.88 तक
(8)	प्रतिवेदन लेखन एवं प्रेषण	शैक्षिक प्रायोजना समन्वयक	31.3.89
(9)	समापन संगोष्ठी का आयोजन (प्रतिवेदन का समूह के सम्मुख प्रस्तुतीकरण)	अनुसंधाता वाक्पीठ तथा समन्वयक	30.4.88 तक

मूल्यांकन:-

सम्पादित शोध कार्य की संख्या एवं स्तर के आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा ।

प्रभारी :-

- प्रकाशन कार्य की वार्षिक योजना सत्र - 1988-89 -

पूर्ववर्ती स्थिति :-

माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक वाक्पीठ, उदयपुर द्वारा सत्र 1987-88 में प्रकाशन समिति द्वारा निम्नांकित प्रकाशन निकाले गये ।

(1) त्रैमासिक परख पत्र [अनुश्रवण] वाक्पीठ के सहयोग से ।

(2) वागुर शिक्षक

(3) प्र.अ.वाक्पीठ वार्षिक कार्य योजना जिला, उदयपुर 1987-88

(4) विद्यालय पंचांग - 1987-88

उद्देश्य:-

(1) प्रकाशन के माध्यम से शैक्षिक नवाचारों के प्रति शिक्षा कर्मियों में रुचि जागृत करना ।

(2) जिले में शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं भौतिक क्षेत्र में होने वाली उपलब्धियों के विवरण का प्रकाशन करना।

(3) वागुर शिक्षक के माध्यम से श्रेष्ठ शैक्षिक रचनाओं का प्रकाशन करना ।

लक्ष्य:-

(1) दो फोल्डरों का [आरम्भ एवं समापन] संगोष्ठियों में वितरण हेतु निर्माण एवं प्रकाशन ।

(2) शैक्षिक आयाम एवं उपलब्धियों का प्रकाशन ।

(3) परिवर्तित पाठ्यक्रम का नवीन पाठ्यक्रम विभाजन तैयार कर विद्यालयों को उपलब्ध कराना ।

(4) सैकण्डरी परीक्षा के स्तर के निम्नांकित विषयों के प्रश्न बैंकों का प्रकाशन:-

(1) हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान

(5) प्र.अ.वाक्पीठ विद्यालय पंचांग का प्रकाशन ।

(6) वागुर शिक्षक पत्रिका को और रोचक बनाकर प्रकाशित कराना ।

(7) प्र.अ.वाक्पीठ वार्षिक कार्य योजना 88-89 का प्रकाशन ।

क्रियान्विति के चरण :-

क्र.सं.	क्रियान्वयन चरण	प्रभारी	पूर्ति तिथि
(1)	आरम्भ संगोष्ठी हेतु फोल्डर का प्रकाशन ।	सम्पादक मण्डल वाक्पीठ अध्यक्ष एवं सचिव	30-7-1988
(2)	वार्षिक कार्य योजना 88-89 का निर्माण	अध्यक्ष एवं सचिव वाक्पीठ	30-7-88
(3)	वार्षिक प्रगति एवं विद्यालय पंचांग का प्रकाशन ।	-----"-----	30-7-1988

क्रमशः/-

प्र......

- प्रधानाध्यापक द्वारा परिवीक्षण की वार्षिक योजना सन 1988-89 -

वर्तमान स्थिति:-

सामान्यतया प्रधानाध्यापक परिवीक्षण में एक रूपता का अभाव रहा है।

सन 1987-88 में प्रारम्भ किये जाने से 50 प्रतिशत सफलता प्राप्त की गई।

उद्देश्य:-

(1) विहित मानदण्डों को आधार मानते हुये जिले में प्रधानाध्यापक परिवीक्षण योजना में एक रूपता लाना।

(2) शैक्षिक समस्याओं को हल करने में अध्यापकों की सहायता करना।

(3) शिक्षण की नवीनतम विधाओं से शिक्षक को परिचित कराना तथा इसके लिये अपेक्षित मार्ग दर्शन देना।

(4) शिक्षण सामग्री (दृश्य श्रव्य) का नवीन परिप्रेक्ष्य में अधिकतम उपयोग हेतु प्रेरित करना।

(5) परिवीक्षण के माध्यम से विहित मानदण्डों की बराबर देखी अंकित करना।

लक्ष्य:-

विहित मानदण्डों के अनुसार निर्दिष्ट कक्षा शिक्षण, लिखित कार्य, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों एवं कार्यालय का शत प्रतिशत परिवीक्षण करना।

क्रियान्विति के चरण:-

क्र.स.	क्रियाकलाप	प्रभारी	सम्पूर्ति तिथि
(1)	अपने विद्यालय की परिवीक्षण योजना का निर्माण।	1. प्रधानाध्यापक 2. प्रधान सहायक	14.7.88
(2)	प्रधानाध्यापक प्रथम स्टाफ बैठक में परिवीक्षण योजना की जानकारी दें।	प्रधानाध्यापक	15 जुलाई 1988
(3)	प्रधानाध्यापक योजनानुसार परिवीक्षण करेंगे। स्टाफ की अधिकता होने पर [illegible] अनुभवी साथियों का सहयोग लें।	———	सत्र पर्यन्त

साधन सुविधायें:-

विद्यालय स्तरानुसार

मूल्यांकन:-

(1) निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण के आधार पर।

(2) प्रधानाध्यापक परिवीक्षण पंजिका के आधार पर।

(3) बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर।

एसपी/-

- जिला सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम योजना सत्र 1988-89 -

वर्तमान स्थिति :-

सत्र 1987-88 में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिता विभिन्न स्थानों पर सफलता पूर्वक आयोजित की गई। वर्तमान में ये प्रतियोगितायें पहले चरण में केन्द्र स्तर पर आयोजित होती हैं एवं द्वितीय चरण में जिला स्तर पर आयोजित की जाती है।

उद्देश्य:-

[1] सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना।

[2] प्रतियोगिताओं के माध्यम से सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि जाग्रत करना।

[3] सांस्कृतिक कार्यक्रम को महत्व देकर विद्यार्थी शिक्षा स्तर के बालकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति और साहित्यिक परम्पराओं के प्रति प्रगाढ़ स्नेह उत्पन्न करना।

[4] राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप सांस्कृतिक एवं मानव मूल्यों के संवर्धन हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करना।

कार्य:-

[1] विद्यालय स्तर पर कला विषय के अन्तर्गत एवं आन्तरिक मूल्यांकन के अन्तर्गत सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों की अन्तःकक्षा प्रतियोगिता का अनिवार्यतः आयोजन करना।

[2] विद्यालय में चयनित छात्रों को केन्द्र स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजना।

[3] केन्द्र स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु भेजना।

सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति :-

[1] प्रमुख संयोजक-श्री धर्माराम मीणा-प्र.अ. राउमावि-नाथद्वारा

[2] क्रियान्वयन प्रभारी-श्री गिरधारी लाल शर्मा-प्रअ. मावि-सनवाड़

[3] सचिव-श्री जयदेव कुमार गौड़-प्रअ. राउमावि-नाथद्वारा

[4] सदस्य:-1. श्री सत्यदेव श्रीमाली-प्रअ. रामावि-पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर
2. श्री नाथूलाल आमेटा-प्रअ. मावि-समीचा
3. श्री भगवान दास त्रिपाठी-प्रअ. मावि-नाई
4. श्री प्रभुलाल वैरागी-प्रअ. मावि-करोली
5. श्री देवकीनन्दन पालीवाल-प्रअ. मावि-शिशरोदा
6. श्री मालिक राम - प्रअ. राउमावि-रामद्वारा चौक, सलूम्बर
7. श्री गोपाल सिंह सोढा-प्रअ. प्रावि-[illegible], उदयपुर
8. श्री उप जिला शिक्षा अधिकारी (सामान्य)
9. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्या., उदयपुर

एसपी/-

पृ.......

क्रियान्वयन के चरण :-

क्र.सं.	पद का नाम	प्रभारी	पद पूर्ति तिथि
[1]	सांस्कृतिक समिति की प्रथम बैठक व स्थल का चयन	प्रमुख संयोजक एवं क्रियान्वयन प्रभारी	23.7.88
[2]	विद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम की प्रतियोगितायें आयोजित करना ।	संस्था प्रधान	31.8.88
[3]	खण्ड स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन	प्रमुख संयोजक एवं क्रियान्वयन प्रभारी	17.9.88 तक
[4]	जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन ।	—"—"—"—	विभागीय आदेशानुसार ।

नोट:-

इन प्रतियोगिताओं का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित आन्तरिक मूल्यांकन की प्रतियोगिताओं के आधार पर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं विषयों के आधार पर आयोजित होगी ।

साधन सुविधायें :-

[1] विद्यालय, जन सहयोग एवं शिक्षा क्षेत्र समिति के माध्यम से जुटाई जायेगी ।

[2] पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र, भारतीय लोक कला मण्डल एवं मीरा कला मंदिर उदयपुर से अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा ।

मूल्यांकन :-

जिला एवं राज्य स्तर पर मिले की उपलब्धि स्वतः ही मूल्यांकन का आधार होगा ।

क्रमशः/-

- जिला खेल कूद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988-89 -

वर्तमान स्थिति:-

वर्ष 1987-88 में विभिन्न स्थानों पर जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगितायें सफलता पूर्वक आयोजित की गई । राज्य स्तर पर सम्पन्न हुई प्रतियोगिताओं में जिले के प्रतियोगियों का विभिन्न खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है । सामान्यत: जिला खेलकूद प्रतियोगिता माह सितम्बर-अक्टूबर में तथा राज्य स्तरीय नवम्बर में आयोजित की जाती रही है ।

वर्ष 1987-88 में उदयपुर जिले का क्रिकेट एवं बेडमिंटन में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान रहा एवं बाल,उमावि को राज्य स्तरीय क्रिकेट खेल प्रतियोगिता के आयोजन का सुअवसर मिला ।

उद्देश्य:-

[1] खेलों के प्रति बालकों में रुचि जागृत कर खेल भावना का विकास करना ।

[2] खेलों के माध्यम से नैतिक,चरित्र निर्माण,भाईचारा तथा राष्ट्रीय भावना जागृत करना ।

[3] बाल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना ।

लक्ष्य:-

[1] विद्यालय स्तर पर अन्त:कक्षा प्रतियोगिताओं का अनिवार्यत: आयोजन करना

[2] विभाग द्वारा स्वीकृत सभी खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

[3] राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के लिये जिले से कुशल खिलाड़ियों का चयन कर उनके लिये प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करना ।

[4] अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना ।

[5] बालिका शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं हेतु विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर चयनित छात्राओं को जिला स्तरीय छात्रा खेल कूद प्रतियोगिताओं में भिजवाना ।

[6] प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु प्रस्ताव तैयार कर स्थान निर्धारण कराना तथा आयोजन हेतु बजट आवंटन करना ।

जिला स्तरीय खेल समिति :-

[1] प्रमुख संयोजक - श्री नियाज बेग मिर्जा साहब-प्राचार्य-कुमो,उमावि-उदयपुर
[2] जिला संयोजक-श्री इकरार अहमद-उप जिशिअ-गोगुन्दा
[3] क्रियान्वयन प्रभारी-श्री जितेन्द्र पाल-उप जिशिअ[शा.शिक्षा]

सदस्य:- श्री राजशेखर व्यास-प्र.उमावि-बावलवाडा
श्री मकबूल अहमद-प्र.मावि-सायरा
श्री शम्भू सिंह झाला-प्र.उमावि-धावा
श्री दयालाल टेलर-प्र.मावि-बलीचा
श्री मोनू बोलिया- प्र.उमावि-[illegible][उमावि-प्रतिनिधि]

रचपी/-

क्र......

श्री मधुर मोहनव्यास-प्र०प्राचि-धारियावद [प्राचि प्रतिनिधि]
श्री रामप्रसाद कालरा-उप जिशिअ [सामान्य] पदेन
श्री सचिव जिला खेलपीठ [पदेन]

<u>क्रियान्विति के चरण</u> :-

क्र०सं०	क्रियाकलाप	प्रभारी	पूर्ति तिथि
[1]	खेल समिति की प्रथम बैठक तथा स्थल चयन	प्रमुख संयोजक एवं क्रियान्वयन प्रभारी	20.7.88
[2]	विद्यालय में अन्तःकक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन	संबंधित विद्यालयों के शारीरिक शिक्षक	31.8.88
[3]	विद्यालय टीमों का चयन एवं खेल अभ्यास [जिला प्रति० से पूर्व]	-"-	15.9.88 तक
[4]	जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के प्रथम चरण का आयोजन करना।	जिला खेल समिति	विभागीय आदेशानुसार
[5]	जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।	-"-	-"-
[6]	राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भेजना	-"-	-"-
[7]	जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के द्वितीय चरण का आयोजन करना।	-"-	-"-
[8]	द्वितीय चरण के जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।	-"-	-"-
[9]	राज्य स्तर पर जिले के प्रतियोगियों को भेजना	-"-	-"-

<u>आवश्यक सुविधायें</u> :-

विद्यालय, जन सहयोग एवं जिला खेल कूद समिति के माध्यम से जुटाई जायेगी।

<u>मूल्यांकन</u> :-

राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर खेलों में जिले की उपलब्धियाँ स्वतः ही मूल्यांकन का आधार होगी।

क्रमशः/-

- शैक्षिक भ्रमण योजना सत्र 1988-89 -

प्रस्ताव स्थिति :-

पिछले कुछ वर्षों से इस योजना को वार्षिक योजना में प्रस्तावित किया गया लेकिन किन्हीं विशेष कारणों से इसका आयोजन नहीं किया जा सका । इस कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये इस वर्ष इसे पुनः वार्षिक योजना में प्रस्तावित किया गया है ।

भूमिका :-

इस कार्यक्रम को तीन स्तर पर आयोजित किया जाना है । पहले स्तर पर जिले के अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण करना । इस भ्रमण में न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों के प्र.अ. को उच्च परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों का भ्रमण कराना वहाँ की गतिविधियों को उनके विद्यालयों में विद्यालय परिस्थितियों के अनुकूल लागू करवाने हेतु सुझाव देना ।

दूसरे स्तर पर राज्य में शैक्षिक भ्रमण करना । इस हेतु राजस्थान की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों विस्तार सेवा केन्द्रों आदि का शैक्षिक भ्रमण करना तथा वहाँ पर हो रहे नवाचारों को जिले में संचालन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना ।

तृतीय स्तर पर राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण करना । इसमें राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्विति के अन्तर्गत होने वाली विभिन्न गतिविधियों राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल लागू करने हेतु सुझाव प्रस्तावित करना । इस हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ।

लक्ष्य:-

[1] वर्ष 1988-89 में जिले के अन्तर्गत उच्च परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों का न्यून परीक्षा परिणाम वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा शैक्षिक भ्रमण करना ।

[2] वर्ष 1988-89 में राज्य के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों आदि में हो रहे नवाचारों की क्रियान्विति को ज्ञात करने हेतु शैक्षिक भ्रमण करना ।

[3] वर्ष 1988-89 में राज्य के बाहर गुजरात राज्य की विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, विस्तार केन्द्रों, विद्यालयों आदि का शैक्षिक भ्रमण करना । इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, नवाचारों का प्रयोग जो हो रहा है, इनका अवलोकन कर राज्य की शैक्षिक परिस्थितियों के अनुकूल इन्हें लागू करने हेतु सुझाव देना ।

[4] इस भ्रमण हेतु प्रति स्तर पर 32 संबंधित अधिकारियों को भिजवाना जिसमें प्राचार्य[2] उ.मा.वि. प्र.अ. [8] मा.वि. के प्र.अ. [8] तथा उ.प्रा.वि. के प्र.अ. [12] एवं प्रा.वि. के प्र.अ. 2 होंगे ।

[5] चयन हेतु मानदण्डों के मार्गदर्शन चयनित कमेटी द्वारा किया जा सकेगा ।

[6] शैक्षिक भ्रमण द्वारा जो शैक्षिक सुझाव दिये जायेंगे उन्हें संबंधित विद्यालयों में क्रियान्वित करवाने हेतु प्रस्तावित करना ।

अवधि:-

प्रत्येक दल की भ्रमण की अवधि 12 दिवस होगी ।

एसपी/- पृ०....

<u>कार्यकारी दल</u> :-

प्रमुख संयोजक :- श्री मुकुन्द स्वरूप माथुर -आचार्य-रा.महा,उमावि-उदयपुर

क्रियान्वयन प्रभारी :-श्री बलवन्त सिंह मैत्री-प्र.राउमावि-लूम्बर

सदस्य:-[1] श्री प्रकाश भटनागर-उप निदेशक-कार्या.शिउनि-उदयपुर
[2] श्री नवरत्न सिंह झाला-प्र.मावि-बारापाल
[3] श्री सम्पतलाल मण्डोवरा-प्र.मावि-दरोली
[4] श्री रामसिंह अग्रवाल-प्र.मावि-मेवारी
[5] श्री पूनम चंद मालवेया-प्र.मावि-रिखेड
[6] श्री भेंवरलाल रेगर-प्र.मावि-बम्बा
[7] श्री राम चंद्र शर्मा-प्र.राउमावि-धीरयावद
[8] श्री शिवपुरी गोस्वामी-प्र.प्रावि- गुडियावास,उदयपुर

<u>क्रियान्विति के चरण</u> :-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	प्रभारी	पद्पूर्ति तिथि
[1]	शैक्षिक भ्रमण हेतु कार्यकारिणी की प्रथम बैठक	इस हेतु निर्धारित समिति	27.7.88 तक
[2]	भ्रमण कार्यक्रम,स्थान,समय, संभागी आदि का कोर्य	----"-----"----	27.7.88 तक
[3]	स्वीकृति	----"-----"----	17.8.88 तक
[4]	संभागियों की सूचना आदि भिजना ।	----"-----"----	31.8.88 तक
[5]	शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन	निर्धारित संभागी	24.10.88 से 5.10.88 तक
[6]	यात्रा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पि.वि.अ.को		24.11.88 तक
[7]	भ्रमण से प्राप्त अनुभवों को प्रस्तुत करना ।		सत्रपर्यन्त क्षेत्रीय वाक्पीठ में ।
[8]	भ्रमण से प्राप्त अनुभवों पर आधारित योजना का प्रारम्भ एवं विद्यालयों में प्रसारण ।	-	
[9]	वाक्पीठ शिक्षक एवं बालिका में भ्रमण प्रतिवेदन प्रकाशन ।	-	

नोट:-

[1] भ्रमण के संभागियों का चयन जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थाये,के माध्यम से होगा ।

[2] जिन विद्यालयों को देखना है उनकी स्वीकृति उस प्रान्त के संबंधित शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की जायेगी ।

[3] कार्यकारी दल की बैठक में भाग लेने हेतु जिला वाक्पीठ सचिव विशेष आमंत्रित होंगे ।

[4] भ्रमण की स्वीकृति निदेशक महोदय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर से प्राप्त की जायेगी ।

एसपी/-

- विद्यालय संगम संबंधी योजना वर्ष 1988-89 -

वर्तमान स्थिति :-

(1) वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में संगम केन्द्र कार्यरत है ।

(2) निदेशालय के परिपत्र क्र-शिविरा/नि.प./डी-1/22702/मेन/85-86/ दिनांक:-19.3.87 (शि.-शिविरा मई,जून 87 पेज 65) के अनुसार वर्ष 1987-88 से जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक एक आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र की स्थापना की गई है । जिनके नाम निम्नांकित है :-

(क) जिला स्तरीय आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र - भूपालपुरा-उमावि-उदयपुर

(ख) पंचायत समिति मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र :-

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय
(1)	आमेट	राउमावि-आमेट
(2)	कुम्भलगढ़	-"-केलवाड़ा
(3)	कोटड़ा	-"-कोटड़ा
(4)	खमनोर	-"-खमनोर
(5)	खेरवाड़ा	-"-खेरवाड़ा
(6)	गिर्वा	राउमावि- सवीना खेड़ा
(7)	गोगुन्दा	राउमावि-गोगुन्दा
(8)	झाड़ोल	रामावि-झाड़ोल
(9)	देवगढ़	राउमावि-देवगढ़
(10)	धरियावद	-"-धरियावद
(11)	बड़गांव	-"-देलवाड़ा
(12)	भीण्डर	-"-भीण्डर
(13)	भीम	-"-भीम
(14)	मावली	-"-मावली
(15)	राजसमंद	-"-राजसमंद
(16)	रेलमगरा	-"-रेलमगरा
(17)	सराड़ा	-"-सराड़ा
(18)	सलूम्बर	-"-सलूम्बर

उपर्युक्त संगम केन्द्रों के अतिरिक्त 6 अन्य संगम केन्द्र भी स्थापित किये गये है । जिनके नाम निम्न है :-

क्र.सं.	संगम केन्द्र	पंचायत समिति
(1)	राउमावि-कांकरोली	राजसमंद
(2)	-"- कुरज	रेलमगरा
(3)	-"-कुराबड़	गिर्वा
(4)	-"-देवपाड़ा	खेरवाड़ा
(5)	-"-[illegible]	झाड़ोल (फ.)
(6)	-"- वल्लभनगर	भीण्डर

इस प्रकार एक जिला स्तरीय आदर्श संगम केन्द्र तथा 24 अन्य आदर्श संगम केन्द्र कार्यरत है ।

एवपी/-

- विद्यालय संगम संबंधी योजना वर्ष 1988-89 -

वर्तमान स्थिति :-

(1) वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में संगम केन्द्र कार्यरत है ।

(2) निदेशालय के परिपत्र क्र-शिविरा/नि.प./डी-1/22702/संग/85-86/ दिनांक:-19.3.87 (देखें -शिविरा मई,जून 87 पेज 65 ।) के अनुसार वर्ष 1987-88 से जिला मुख्यालय एवं प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक एक आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र की स्थापना की गई है । जिनके नाम निम्नांकित है :-

(क) जिला स्तरीय आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र - भूपालपुरा-उमावि-उदयपुर

(ख) पंचायत समिति मुख्यालय पर आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र :-

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय
(1)	आमेट	राउमावि-आमेट
(2)	कुंभलगढ़	-"-केलवाड़ा
(3)	कोटड़ा	-"-कोटड़ा
(4)	खमनोर	-"-खमनोर
(5)	खेरवाड़ा	-"-खेरवाड़ा
(6)	गिर्वा	राउमावि- [illegible]
(7)	गोगुन्दा	राउमावि-गोगुन्दा
(8)	झाड़ोल	रामावि-झाड़ोल
(9)	देवगढ़	राउमावि-देवगढ़
(10)	धरियावद	-"-धरियावद
(11)	[illegible]	-"-देलवा
(12)	भीण्डर	-"-भींडर
(13)	भीम	-"-भीम
(14)	मावली	-"-मावली
(15)	राजसमंद	-"-राजसमंद
(16)	रेलमगरा	-"-रेलमगरा
(17)	सराड़ा	-"-सराड़ा
(18)	सलूम्बर	-"-सलूम्बर

उपर्युक्त संगम केन्द्रों के अतिरिक्त 6 अन्य संगम केन्द्र भी स्थापित किये गये है । जिनके नाम निम्न है :-

क्र.सं.	संगम केन्द्र	पंचायत समिति
(1)	राउमावि-कांकरोली	राजसमंद
(2)	-"- कुरज	रेलमगरा
(3)	-"-कुराबड़	गिर्वा
(4)	-"-देवपाड़ा	[illegible]
(5)	-"-[illegible]	झाड़ोल(फ)
(6)	-"- वल्लभनगर	भीण्डर

इस प्रकार एक जिला स्तरीय आदर्श संगम केन्द्र तथा 24 अन्य आदर्श संगम केन्द्र कार्यरत है ।

एवपी/-

क्र.......

उद्देश्य:-

[1] एक क्षेत्र [8 कि.मी. परिधि] के सभी स्तर के समस्त विद्यालयों को निकट लाना और उनमें शिक्षा के उन्नयन की दिशायें खोजना ।

[2] ऐसे सभी विद्यालयों में शैक्षिक सुविधाओं का आदान प्रदान कर सहयोग स्थापित करना तथा शैक्षिक स्तर उन्नत करना ।

[3] सभी स्तरों के शिक्षकों में अलगाव दूर कर एक मंच पर लाना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी क्षमताओं, रुचियों, विशेषज्ञताओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना ।

[4] शिक्षा योजना के माध्यम से उपरोक्त बातों को शिक्षा स्तर तक आगे बढ़ाना

विद्यालय संगम केन्द्रों से अपेक्षायें :-

[1] **शैक्षिक मार्गदर्शन:-**

[1] अनुसंधान [2] अध्ययन क्रम [3] आदर्श पाठ [4] निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण [5] पत्र वाचन [6] परीक्षा परिणाम उन्नयन [7] कक्षा परिवीक्षण [8] शैक्षिक संगोष्ठियां [9] विषय विशेष शिक्षण उन्नयन [10] लघु अवधि सेवारत प्रशिक्षण [11] शिक्षण प्रतियोगितायें [12] विशेष कक्षायें ।

[2] **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत करणीय कार्य:-**

[1] आपरेशन ब्लैक बोर्ड [2] नामांकन वृद्धि [3] अल्प बचत [4] वृक्षारोपण [5] पर्यावरणीय स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण [6] सामुदायिक सेवा [7] राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता

[3] **केन्द्रीय तथा सदस्य विद्यालयों के साधनों का पारस्परिक आदान प्रदान:-**

[1] प्रयोगशाला उपकरण [2] पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकायें
[3] खेलकूद सामग्री [4] श्रव्य दृश्य साधन [5] अन्य भौतिक साधन

[4] **पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियां एवं प्रतियोगितायें :-**

[1] संगम पत्रिका का प्रकाशन [2] सामूहिक वन विहार
[3] भित्ति पत्रिका [4] खेल कूद [5] विज्ञान मेला [6] वादविवाद
[7] कविता पाठ [8] संगीत [9] श्रमदान [10] अन्त्याक्षरी
[11] चित्रकला [12] सामान्य ज्ञान अभिरुचि [13] कौमी एकता

[5] **प्रशासनिक कार्य:-**

[1] आवश्यकतानुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां
[2] परीक्षा कार्य का परिवीक्षण एवं संचालन ।

नोट:-

प्रत्येक संगम केन्द्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने केन्द्र की संगम योजना में उपर्युक्त क्षेत्रों में से अधिकाधिक बिन्दुओं का समावेश करें ।

<u>विद्यालय संकुल योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा :-</u>

क्र.सं.	करणीय कार्य	पूर्ति तिथि	प्रभारी	स्थान	सहभागी
[1]	विद्यालय योजना संबंधी आवश्यक सूचना मंगवाना	18.7.88	समन्वयक संकुल केन्द्र	केन्द्र विद्यालय	
[2]	विद्यालय संकुल योजना का निर्माण	23.7.88	--"--	--"--	सैक्षिक वि.
[3]	परामर्शदात्री समिति की बैठक में संकुल योजना को अंतिम रूप देना तथा प्रत्येक विद्यालय के करणीय का स्पष्टीकरण	27.7.88	--"--	--"--	समिति के सदस्य, संकुल के प्राध्यापक व समन्वयक
[4]	निरीक्षण अधिकारी को योजना की प्रस्तुति	30.7.88	--"--	--"--	-
[5]	गणित, विज्ञान, विषय समिति की प्रथम बैठक	3.8.88	व्याख्याता/प्राध्यापक गणित, विज्ञान विषय का प्र.	उ.मा.वि.	समस्त विद्यालयों के गणित व विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक
[6]	आदर्श पाठ गणित	6.8.88	--"--	--"--	--"--

नोट :- [1] उपर्युक्त प्रारूप में दी गई प्रविष्टियों के अनुसार पूरे वर्ष के लिये योजना के अन्तर्गत शैक्षिक प्रवृत्तियों का समावेश किया जाये।

[2] प्रदर्शन पाठ व विषय उन्नयन से संबंधित सारे ही कार्य सामान्यतः अर्द्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व ही सम्पन्न कर लिये जाये।

<u>विद्यालय संकुल मूल्यांकन :-</u>

संकुल के मूल्यांकन का उद्देश्य अब तक किये गये कार्यों पर विचार करना तथा आगे अत्यावश्यक मार्ग दर्शन करना है। मुख्यतः यह मूल्यांकन केन्द्रीय विद्यालय द्वारा स्वमूल्यांकन है जिसमें संकुल योजना में लिये गये विभिन्न बिन्दुओं के क्रियान्वित पक्ष पर अधिक बल दिया जायेगा तथा क्रियान्विति में आये अवरोधों को दूरकर लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के अभिप्रेरित किया जायेगा।

संकुल योजना का मूल्यांकन वर्ष में दो बार केन्द्रीय विद्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

[1] अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन — 24 दिसम्बर 1988 तक
[2] वार्षिक मूल्यांकन — 6 मई 1989 तक

मूल्यांकन का आधार संकुल स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों व प्रवृत्तियों के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य तथा सदस्य विद्यालयों से प्राप्त लिखित सूचनायें होगी। इसमें निम्नांकित प्रपत्र प्रयुक्त किये जायेंगे।

स्थापी/-

क्र.....

- मूल्यांकन प्रपत्र -

(अर्द्धवार्षिक / वार्षिक मूल्यांकन योजना वर्ष 1988-89)

विद्यालय संकुल केन्द्र का नाम :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य पूर्ति	सामाजिक भागीदारी			
				विद्यालय का नाम	शिक्षक क्रिया	लाभ का स्वरूप	छात्र सं.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित प्रतिशत	लक्ष्य पूर्ति नहीं होने के कारण	आगे की अपेक्षित कार्यवाही	सम्बद्ध विद्यालय द्वारा	सहयोग केन्द्रीय विद्यालय द्वारा	प्रशासन द्वारा	अन्य	विविध
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

- कार्य योजना पूर्ति हेतु प्राप्त सहयोग संबंधी विवरण प्रपत्र -

वर्ष 1988-89

संकुल केन्द्र का नाम :-

क्र.सं.	अभिकरण	अपेक्षित सहयोग का स्वरूप	प्राप्त सहयोग	सहयोग जो प्राप्त नहीं हुआ	सहयोग के लिए करणीय कार्य	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

अभिकरण :-

1. ग्राम शिक्षा सलाहकार समिति ।
2. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति
3. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।
4. जिला शिक्षा बोर्ड
5. रा.शै.अ.प्र.संस्थान
6. विशिष्ट व्यक्ति/संस्था

मूल्यांकन का अनुवर्तन :-

(1) विद्यालय संकुल स्तर पर :-
केन्द्रीय विद्यालय द्वारा मूल्यांकन कर लेने के पश्चात् परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस पर विस्तृत की जायेगी । इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कमजोर पक्षों को सशक्त बनाने का तथा लक्ष्य प्राप्ति में कमी रही है तो उसको पूरा करने के उपायों पर विशेष रूप से विचार कर ठोस कार्यक्रम निर्धारित किये जायेंगे ।

(2) प्रशासनिक स्तर पर :-
विद्यालय संकुल केन्द्रों से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के 15 दिन की अवधि में नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाकर आवश्यक सुझाव व निर्देश प्रदान किये जायेंगे । यदि किसी कार्यक्रम में अन्य अभिकरण के सहयोग की अपेक्षा हो तो नियंत्रण अधिकारी उस अभिकरण से सम्पर्क कर विद्यालय संकुल की सहायता करेगा ।

एसपी/-

3......

केन्द्राध्यक्षों के दायित्व :-

{1} आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यकतानुसार संकुल स्तर पर भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का आदान प्रदान करना ।

{2} सुविधानुसार विद्यालयों में टी.वी., कम्प्यूटर, रेडियो, वीडियो तथा अन्य आवश्यक शैक्षिक दृश्य श्रव्य उपकरणों की व्यवस्था {केन्द्रीय विद्यालय द्वारा} सहयोग प्राप्त करना ।

{3} जिला शिक्षा बोर्ड जिला परीक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान {डाइट} ग्राम शिक्षा सलाहकार समिति, शिक्षा संस्थान आदि अभिकरणों से पहल कर सम्पर्क करना ।

{4} सदस्य विद्यालयों एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण आयोजित करना ।

{5} जिला शिक्षा बोर्ड तथा {डाइट} के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ।

{6} शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं पृथक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये "डाइट" से सहयोग लेना ।

{7} समस्त विद्यालयों की कठिनाईयों का पता लगाकर उनके समाधान हेतु ग्राम शिक्षा सलाहकार समिति अथवा सम्बन्धित अभिकरण से तालमेल बनाये रखना ।

{8} राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य का अनुश्रवण करना ।

{9} अपने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों नवोदय विद्यालय के बारे में जानकारी देना एवं प्रवेश परीक्षा विधि का प्रशिक्षण देना ।

सदस्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के दायित्व :-

{1} अपने विद्यालयों की आवश्यकताओं की सूची बनाना ।

{2} आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रचनात्मक रूप अपनाना ।

{3} संकुल केन्द्र को अपनी आवश्यकताओं से अवगत कराना ।

{4} सहयोग एवं सहभागिता में निष्ठा रखते हुये संकुल कार्यक्रमों का आयोजन करना

कार्य प्रबोधन :-

जिले में विद्यालय संकुल केन्द्रों के कार्यों का प्रबोधन के करने हेतु दो स्तर पर व्यवस्था होगी :-

{1} संभाग स्तर पर {2} जिला स्तर पर

संभाग स्तर पर प्रबोधन समिति इस प्रकार होगी :-

{1} उदयपुर संभाग :-

अध्यक्ष :- जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर
उपाध्यक्ष :- प्रधानाचार्य, कुमीति. उमावि-उदयपुर
संयोजक :- प्रधानाचार्य-संवरधा उमावि-उदयपुर
सदस्य :- समस्त केन्द्राध्यक्ष आदर्श विद्यालय, संकुल केन्द्र
अन्य सदस्य :- प्रधानाचार्य, बाल उमावि-उदयपुर
प्रधानाध्यापक-बा परमार्थ, सायरा, एवं डिंडी

सतपी/-

२.....

|2| **राजसमंद क्षेत्र :-**

अध्यक्ष :- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद

संयोजक :- प्रधानाध्यापक-उमावि-राजसमंद

सदस्य :- समस्त केन्द्राध्यक्ष, आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र ।

अन्य सदस्य :- प्रधानाध्यापक, उमावि-सरदारगढ़, सिसोदा, मावि-केलवा, देवेर

|3| **कुम्भलगढ़ क्षेत्र :-**

अध्यक्ष :- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कुम्भलगढ़

संयोजक :- प्रधानाध्यापक, उमावि-कुम्भलगढ़

सदस्य :- समस्त केन्द्राध्यक्ष आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र

अन्य सदस्य :- प्रधानाध्यापक आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र ।

प्र॰-उमावि-मावि-आमेट, देवगढ़, मदारा, गिलुण्ड

|4| **वल्लभनगर क्षेत्र :-**

अध्यक्ष :- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वल्लभनगर

संयोजक :- प्रधानाध्यापक, उमावि-भींडर

सदस्य :- समस्त केन्द्राध्यक्ष आदर्श विद्यालय संगम केन्द्र

अन्य सदस्य :- प्रधानाध्यापक, उमावि-वल्लभनगर, फतहनगर, मावि-डाडोल, मेनार व सेमारी

जिला समन्वय प्रकोष्ठ समिति :-

अध्यक्ष :- जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर

उपाध्यक्ष :- अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी-राजसमंद/वल्लभनगर/कुम्भलगढ़

संयोजक :- श्री आनन्द बैरागी- प्र॰ राउमावि-कुराबड़

सदस्य :- |1| वरिष्ठ उप निरीक्षक, जिला परिषद, उदयपुर

|2| अति॰ जिला विकास अधिकारी, उदयपुर

|3| समस्त केन्द्राध्यक्ष आदर्श विद्यालय, संगम केन्द्र

विद्यालय संगम समिति :-

संयोजक :- श्री कैलाश नारायण भटनागर-प्र॰ मेरवाड़ा, उमावि-उदयपुर

क्रियान्वय प्रभारी सचिव :- |1| श्री कमल पोखरना-प्र॰ राउमावि-शोभा, उदयपुर

सदस्य :- |1| श्री मोहन लाल कच-प्र॰ मावि-देवेर

|2| श्री देवीलाल तोमपुरा-प्र॰ मावि-ओडा

|3| श्री करण सिंह प्र॰ मावि-धायला

|4| श्री रमाकान्त आमेटा-प्र॰ उमावि-वल्लभनगर

|5| श्री दामोदर लाल पुष्कर, प्र॰ उमावि-मेवाड़कला

|6| श्री मदन मोहन माथुर-प्र॰ उमावि- नाथद्वारा की देवरी

जिला संयोजक का दायित्व :-

|1| जिले के समस्त आदर्श संगम केन्द्रों को परिपत्र भेज कर निम्न सूचनायें एकत्र करना ।

|अ| आदर्श संगम केन्द्र के 8 कि॰मी॰ परिधि में आने वाले समस्त विद्यालयों के नाम जो केन्द्र से जुड़े है या जोड़े जाते है ।

हस्ता/-

2.......

[ब] संकुल स्तर पर शैक्षिक परामर्शदात्री समिति के पदाधिकारियों के नाम।

[स] आदर्श संकुल केन्द्र की चालू सत्र की वार्षिक योजना की प्रति।

[द] 20 सूत्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत कार्यक्रमों की क्रियान्विति संकुल स्तर पर।

[य] प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्रयास व प्रगति की जानकारी देना।

कार्य समाप्ति 15 अगस्त तक।

[2] जिला स्तरीय विद्यालय संकुल समिति की बैठक बुलाकर आदर्श संकुल केन्द्रों से प्राप्त योजनाओं और सूचनाओं का आवश्यकतानुसार सुझाव देना।

– 10 सितम्बर तक

3] समस्त आदर्श संकुल केन्द्रों के सचिवों तथा केन्द्राध्यक्षों की बैठक बुलाना और उनकी योजनाओं की क्रियान्विति पक्ष पर विचार विमर्श करना और आवश्यक सुझाव देना, जिले की दो श्रेष्ठ योजनाओं का चयन कर उनको अवगत कराना

– 30 सितम्बर तक

[4] केन्द्राध्यक्ष की सहमति से अन्तर संकुल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

– माह नवम्बर तक

[5] समस्त आदर्श संकुल केन्द्रों से अर्धवार्षिक मूल्यांकन माह दिसम्बर 88 व वार्षिक मूल्यांकन माह अप्रैल 89 तक प्राप्त करना।

[6] जिला संकुल समिति से एवं जिला [illegible] समन्वय समिति के समस्त आदर्श संकुल केन्द्रों की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा जिला शिक्षा अधिकारी एवं [illegible] अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन की प्रतियां भिजवाना।

हस्ता/-

-: जिला शिक्षा योजना क्रियान्वयन पंचांग सत्र :-1988-89 :-

माह	क्र.सं.	दिनांक	कार्य विवरण
जुलाई 88	1.	1	शैक्षिक भ्रमण हेतु कार्यवाही दल का गठन
-"-	2.	1	दल परिवीक्षण क्रियान्वयन समिति का गठन
-"-	3.	11	विद्यालय परिवीक्षण योजना का क्रियान्वयन
-"-	4.	15	अध्यापकगण विद्यालयों से भारतीय संस्कृति प्रसार योजना मंगवाना ।
-"-	5.	15	अध्यापन गुण समितियों का गठन ।
-"-	6.	15	क्षेत्रीय अधिकारियों से बोर्ड परीक्षा परिणामों की सूचना एकत्र करना ।
-"-	7.	15	आपरेशन ब्लेक बोर्ड हेतु विद्यालयों से अतिरिक्त सहायक सामग्री एकत्र करना ।
-"-	8.	15	मानवीय मूल्य शिक्षण के लिये विद्यालयों का चयन ।
-"-	9.	15	जिला शिक्षा योजना की निदेशालय में प्रस्तुत करना ।
-"-	10.	18	अध्यापक वाक्पीठ के लिये समस्यायें प्रेषित करने हेतु परिपत्र भिजवाना ।
-"-	11.	19	जिला स्तरीय संस्थाप्रधान प्र.अ. वाक्पीठ संगोष्ठी के कार्यक्रम निर्धारण करने हेतु कार्यकारिणी की प्रथम बैठक ।
-"-	12.	20	जिला खेलकूद सांस्कृतिक समिति की प्रथम बैठक ।
-"-	13.	20	विद्यालय को प्रभावी बनाने हेतु विस्तृत निदेशावली तैयार करना ।
-"-	14.	20	प्रश्न पत्रों की समीक्षा हेतु दलों का गठन एवं विषयवार प्रश्न पत्रों की समीक्षा हेतु निर्देशन ।
-"-	15.	20	संगम योजना संबंधित आवश्यक सूचना मंगवाना ।
-"-	16.	21	जिला स्तरीय परीक्षा समन्वय समिति की प्रथम बैठक।
-"-	17.	25	मानवीय मूल्य शिक्षण कार्यक्रम की योजना (वार्षिक योजना) मंगवाना ।
-"-	18.	25	जिला स्तरीय उमावि/मावि प्र.संस्थाप्रधान संगोष्ठी हेतु आदेश प्रसारण करना ।
-"-	19.	26	विद्यालय संगम योजना का निर्माण ।
-"-	20	27	विद्यालय संगम योजना को अंतिम रूप देना तथा प्रत्येक विद्यालय का करणीय कार्य स्पष्ट करना ।
-"-	21	28	मोनिटरिंग योजना की समीक्षा सुधार हेतु निर्देश भिजवाना ।
-"-	22.	30	नियन्त्रण अधिकारी को संगम योजना प्रस्तुत करना ।
-"-	23	30	गणित तथा विज्ञान विषय समिति की बैठक (प्रथम)
-"-	24	30	पुस्तक मेले के आयोजन हेतु प्रकाशकों व पुस्तक विक्रेताओं को आमंत्रित करना।

एसपी/-

क्र.....

जुलाई 88	25.	30	जिले में स्थापित सेवर्ग केन्द्र को समृद्ध करना ।
अगस्त 88	26.	5	उमावि/मावि प्र॰वाकपीठ द्वारा प्रश्न पत्रों की समीक्षा ।
-"-	27.	5	संभाग स्तर पर विद्यालय समितियों का गठन एवं कार्यक्रम ।
-"-	28	9	उमावि/मावि प्र॰वाकपीठ द्वारा समीक्षात्मक प्रतिवेदनों की प्रस्तुति
-"-	29	9	संभागानुसार भाषा प्रयोग शाला हेतु विद्यालयों का चयन ।
-"-	30	9	क्रिया कार्य प्रक्रिया प्रशिक्षण हेतु प्र॰अ॰को का चयन
-"-	31	10	अध्ययनवृत्त विषय समितियों की प्रथम बैठक एवं योजना निर्माण ।
-"-	32	10	अनुसंधाता वाकपीठ द्वारा प्राप्त आकल्पों की समीक्षा एवं अनुमोदन ।
-"-	33	10	आपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण
-"-	34	16	न्यून श्रव्य साधनों वाले विद्यालयों से उपलब्ध साधन संबंधी सूचनाओं का आंकलन ।
-"-	35	16	एडोप्टेड विद्यालयों का चयन एवं विशेष योजनाओं की प्रस्तुति ।
-"-	36	16	संभाग स्तर पर अध्ययनवृत्तों का गठन एवं कार्यकारिणी
-"-	37	17	शैक्षिक भ्रमण हेतु संभागीय स्थान एवं समय आदि की रूपरेखा तैयार करना ।
-"-	38	20	मोनिटरिंग के लिये जिले के दो उप्रावि को सहायक सामग्री ।
-"-	39	20	एडोप्टेड विद्यालयों के प्रथम परीवीक्षण के गुण दोष आधार पर ।
-"-	40	20	परीक्षा के लिये जिला स्तर पर निवीदाओं का आवेदन मंगवाना ,खोलना ।
-"-	41	20	दल परिवीक्षण के आदेशों का प्रसारण मय प्रपत्र के संबंधीत को भेजना ।
-"-	42	30	संबंधित विद्यालयों से लाभान्वित होने वाले विद्यालयों को आदेशित करना ।
-"-	43	31	कक्षा 8 जिला बोर्ड परीक्षा के लिये संभाग स्तर पर निर्धारित प्रारूप में विषयाध्यापकों की सूचना संकलित करना ।
-"-	44	31	जिला स्तरीय शैक्षिक भ्रमण केलिये संभागियों को सूचना भिजवाना ।
-"-	45	31	विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन ।
-"-	46	31	प्रश्न पत्र निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत विषय प्रशिक्षण योजनाओं का निर्माण ।

एसपी/- क्र॰....।

अगस्त 88	47	31	विद्यालय में अन्तःकक्षा प्रतियोगिताओं का आयोजन
-"-	48	31	अनुसंधान पाठपीठ की समारंभ गोष्ठी का आयोजन
-"-	49	31	जिले के प्रतिभावान शिक्षकों से पत्र प्रेषण हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क करना एवं पत्रवाचन प्रतियोगिता थे पत्र प्रेषण के लिये प्रेरित करना ।
सित.88	50	5से7	पत्र परिवीक्षण का आयोजन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
-"-	51	9	प्रश्न पत्र निर्माताओं के लिये मानक तय कर पेन सूची का निर्माण
-"-	52	9	विषय प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का चयन एवं आदेशों का प्रसारण ।[प्रश्न पत्र निर्माण]
-"-	53	10	कक्षा 8 जिला बोर्ड परीक्षा के लिये एस.आई.ई.आर.टी. से तैनात व्यक्तियों की सूची मंगवाकर उनकी प्रतिनियुक्ति करना ।
-"-	54	10	मानवीय मूल्य शिक्षण कार्यक्रम हेतु विद्यालयों द्वारा क्रियान्वित एवं त्रैमासिक मासिक, एवं वार्षिक प्रतिवेदन भेजना ।
-"-	55	13	प्रबंध कार्य प्रक्रिया हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ।
-"-	56	13	मोनिटरिंग के लिये विद्यालयों का चयन ।
-"-	57	14	नियमानुसार भाषा प्रयोग शाला में स्थापित करना
-"-	58	15	जिला क्लब के लिये विद्यालयी टीमों का चयन एवं अभ्यास ।
-"-	59	15	शिक्षार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम हेतु निविदायें मंगवाना
-"-	60	15	आपरेशन ब्लैक बोर्ड हेतु सूचनाओं के आधार पर अतिरिक्त सामग्री का स्थानान्तरण करना ।
-"-	61	21	प्रशासनिक समस्याओं पर विचार एवं निर्णय
-"-	62	21-26	चयनित केन्द्रों पर प्रश्नपत्र निर्माताओं के लिये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन ।
-"-	63	27	दृश्य श्रव्य एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षणों से छात्रों एवं शिक्षकों लाभान्वित करना ।
-"-	64	28	प्रश्नावलियों का निर्माण उनका मुद्रण एवं केन्द्रीय विद्यालयों के माध्यम से वितरण ।
-"-	65	29	आदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य ।
-"-	66	30	मानवीय मूल्य के प्रतिवेदन के आधार पर मार्गदर्शन करना ।
-"-	67	30	विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों का प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण
-"-	68	30	प्रशासनिक समस्याओं पर लिये गये निर्णयों पर कीगई अनुशंसायें रीकमान को प्रेषित करना ।
-"-	69	30	शिक्षकों को द्वारा पत्र तैयार करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी ।

एसपी/-

क्र.....

सित-88	70	30	अनुसंधान धाकपीठ के अन्तर्गत उपकरण निर्माण ।
अक्टू-88	71	3	आपरेशन ब्लैक बोर्ड की उपलब्धियों का वीक्षण उपाधिकारियों को प्रेषित करना ।
-"-	72	10	शिक्षार्थियों मूल्यांकन योजनान्तर्गत प्रश्न पत्रों को मुद्रण हेतु प्रेस मे पहुंचाना ।
-"-	73	15	कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण
-"-	74	25	भाषा प्रयोग शालाओं को समृद्ध बनाना ।
-"-	75	29	अनुसंधान धाकपीठ के अन्तर्गत दत्त संकलन ।
-"-	76	29	प्रभारी शिक्षकों की त्रैमासिक बैठक ।
-"-	77	31	भारतीय सांस्कृतिक शैक्षिक आयाम एवं उपलब्धियां पत्रिका प्रकाशन ।
-"-	78	31	प्रश्न पत्रों का गठन ।
नव.88	79	4	शिक्षकों से पत्र वाचन के लिये पत्र प्राप्त करना।
-"-	80	24	प्रश्न बैंकों का प्रकाशन एवं वितरण ।
-"-	81	24	अनुसंधान हेतु दत्त सारणीयन एवं विश्लेषण ।
-"-	82	25	अध्ययनपुट का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन ।
-"-	83	25	अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिये प्रश्नपत्रों की प्राप्ति
-"-	84	30	विद्यालय योजना की अर्द्धवार्षिक प्रगति भेजने हेतु निर्देशित करना एवं समीक्षा करना ।
-"-	85	30	विद्यालय पत्रिका के लिये विद्यालयों से कार्य प्रगति की सूचना मंगवाना ।
दिस-88	86	1	मानवीय मूल्य शिक्षण योजनान्तर्गत मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन भेजना ।
-"-	87	2	जिला स्तरीय शैक्षिक भ्रमण प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण
-"-	88	3	सम्बल योजना का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन प्रेषित करना ।
-"-	89	8से20	विद्यालयों को प्रश्न पत्रों का वितरण एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन ।
-"-	90	9	दल परिवीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुती
-"-	91	9	सम्भागस्तर पर मध्यावधि सेमीनारों के कार्यक्रम निर्धारण हेतु कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक
-"-	92	15	विद्यालय पत्रिका विद्यालयों से प्रतियोगिता प्राप्त करना
-"-	93	15	दल परिवीक्षण प्रतिवेदनों का संकलन समीक्षा एवं सार संक्षिप्त का प्रसारण ।
-"-	94	15	उमावि/मावि प्रा. धाकपीठ की मध्यावधि संगोष्ठी हेतु आदेश प्रसारित करना ।
-"-	95	19	छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय समूहों का निर्माण
-"-	96	23से24	विद्यालय योजना का अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन ।
-"-	97	31	अनुसंधान धाकपीठ की मध्य स्तरीय सेमीनार का आयोजन
-"-	98	31	क्षेत्रीय स्तर पर पत्र वाचन प्रतियोगिता का आयोजन
-"-	99	31	मानवीय मूल्य शिक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मार्ग दर्शन करना ।

एसपी/- क्र....

दिस-88	100	31	अध्ययनकक्ष की योजनानुसार बैठक ।
-"-	101	31	विद्यालयों में चल रहे आन्तरिक मूल्यांकन प्रविधियों का संकलन
जन-89	102	7	पद परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुति
-"-	103	16	प्रतिवेदनों का संकलन समीक्षा एवं सार का प्रकाशन ।
-"-	104	16	हिन्दी पत्र वाचन प्रतियोगिता में 60 प्रतिशत से अधिक अंक पाने वालों को राज्य स्तरीय वाचन प्रतियोगिता हेतु प्रेषित करना ।
-"-	105	17	अर्द्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्रों के अंकों का पारित करना एवं वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण एवं विषय समितियों की द्वितीय बैठक ।
-"-	106	30	भारतीय संस्कृति प्रसार शिक्षकों की त्रैमासिक बैठक ।
-"-	107	31	प्रसार के प्रमुख अनुभवों का सार संक्षिप्त का प्रकाशन एवं विद्यालय में प्रसारण ।
फरवरी-89	108	8	वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों [मय उत्तर तालिका] का निर्माण।
-"-	109	10	प्रश्न पत्रों का संशोधन एवं मुद्रण हेतु प्रेस को देना ।
-"-	110	15	परिवीक्षित विद्यालयों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त करना ।
-"-	111	20	चयनित विद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन प्रविधियों का संकलन ।
-"-	112	15-18	उमावि/मावि प्र॰अध्यापकों की सत्रांतीय संगोष्ठियों का आयोजन ।
मार्च-89	113	1	मानवीय मूल्य शिक्षण का विद्यालयों द्वारा क्रियान्वित एवं त्रैमासिक वार्षिक प्रतिवेदन लेना ।
-"-	114	7	उमावि/मावि प्र॰ सत्रांत संगोष्ठी हेतु कार्यकारिणी बैठक का आयोजन ।
-"-	115	15	मोनिटरिंग के लिये समीक्षात्मक विवरण निदेशालय को प्रेषित करना ।
-"-	116	31	उमावि/मावि प्र॰अध्यापक सत्रांत संगोष्ठी के लिये आदेश प्रसारित करना ।
-"-	117	31	अनुसंधान प्रतिवेदन लेखन एवं प्रेषण संबंधी प्रयोजना प्रेषण ।
-"-	118	31	मानवीय मूल्य शिक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मार्गदर्शन करना ।
अप्रैल-89	119	3	प्रेस से प्रश्न पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था ।
-"-	120	5	वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की प्राप्ति ।
-"-	121	10	प्रकाशन कार्य की सत्रांत संगोष्ठी हेतु फोल्डर का प्रकाशन ।
-"-	122	13	वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विद्यालयों को वितरण
-"-	123	20 से आगे	वार्षिक परीक्षा का आयोजन ।
मई	124	25	अध्ययनकक्ष का वार्षिक मूल्यांकन
-"-	125	26	विद्यालय योजना के वार्षिक मूल्यांकन पत्र विद्यालयों से मंगवाना ।
	126	26	भाषा प्रयोगशालाओं की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत
	127	27	भारतीय संस्कृति प्रसार प्रभारी शिक्षकों की अभिवेदन

र॰सी/- क्रमशः....

अप्रैल-89	128	29	संकुल योजना का वार्षिक मूल्यांकन प्रेषित करना ।
मई -89	129	30	केन्द्र केन्द्र के वर्ष भर के सम्पादित कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना ।
-"-	130	1	स्टेण्ड्रेड विद्यालयों का सम्पूर्ण वर्ष के प्रयासों एवं प्रतिफलों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
-"-	131	2	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा जिला बोर्ड का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करना ।
-"-	132	4	उपाधि/मापित प्रा०वाकपीठ संगोष्ठी की बैठक ।
-"-	133	5	स्टेण्डर्ड विद्यालयों के शोध कार्यक्रमों को आगामी वर्ष में प्रमुख स्थान देना ।
-"-	134	6	केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा
-"-	135	7	प्रश्न पत्रों की बिल की समीक्षा एवं सुधार हेतु समिति की तृतीय बैठक ।
-"-	136	8	विद्यालयों द्वारा कक्षा 8 के समीक्षा परिणामों की घोषणा ।
-"-	137	9	चयनित प्रश्नों की समीक्षा एवं वाकपीठ बैठक में प्रस्तुति
-"-	138	11	विषय समितियों द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना ।
-"-	139	12	अध्ययन कुलों द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत [illegible] की बैठक
-"-	140	13	सम्पन्न हुये । केन्द्र [illegible] व वाकपीठ के माध्यम से जिले की बैठक । [illegible] माध्यम से समाधान प्रस्तुत करती
-"-	141	14	जिला शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्रों का निर्माण,

[illegible] संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है । शैक्षिक [illegible] के अधिकतम एवं न्यूनतम बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों के का परिवीक्षण कर उचित मार्ग दर्शन उपलब्ध कराती है । जिला प्रशासन समिति के माध्यम से पोस्टर, शैक्षिक आधार एवं उपलब्धियाँ, [illegible] विवरण, पाठ्यक्रम विश्लेषण एवं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु निदानात्मक पत्र पर तैयार कर प्रकाशित करकर विद्यालयों में उपलब्ध कराना है । वाकपीठ द्वारा गठित संकुल समिति के माध्यम से [illegible] प्रशिक्षण व. संकुल प्रतियोगितायें आयोजित करना तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम, [illegible] द्वारा विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के उपयुक्त अथवा उपयुक्त विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है ।

उद्देश्य :-

[illegible] वाकपीठ के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(1) [illegible] शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शैक्षिक, सह शैक्षिक, [illegible], [illegible], शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण, [illegible] [illegible] स्थिति, खेलकूद-सांस्कृतिक साहित्यिक एवं [illegible] प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं शैक्षिक उपलब्धियों एवं [illegible] [illegible] करना आदि कार्यों के क्षेत्र में प्रभावी प्रदान करना ।

क्रमशः/-

- मा०शि०/उ०मा०शि०-पाठ्यपीठ अथवा कार्यक्रम एवं -
[illegible] तथा प्रवृत्तियाँ

प्रस्तावना विवरण :-

जिले में तीन स्तरों पर [माशि-उमाशि/ज्ञाशि/प्राशि] प्रधानाध्यापक पाठ्यपीठें क्रियाशील हैं। विद्यालयों की संख्या अधिक होने से इन पाठ्यपीठों के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से माशि-उमाशि प्रधानाध्यापक पाठ्यपीठ को चार क्षेत्रीय पाठ्यपीठों [राजगढ़, [illegible], [illegible] तथा [illegible]] में विभक्त किया गया है। ज्ञाशि पाठ्यपीठ भी [illegible] [[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], राजगढ़, [illegible] तथा [illegible]] में विभक्त की गई है। इसी प्रकार प्राशि प्रधानाध्यापक पाठ्यपीठ को भी पांच क्षेत्रों [illegible] नगर, [illegible], [illegible], [illegible] तथा [illegible] में विभक्त किया गया है।

माशि-उमाशि प्र०अ०पाठ्यपीठ की वार्षिक एवं [illegible] गोष्ठी जिले स्तर पर तथा क्षेत्रीय गोष्ठी [illegible] बार आयोजित की जाती है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय प्र०अ०पाठ्यपीठों की वार्षिक क्षेत्रीय तथा [illegible] गोष्ठियाँ [illegible] बार आयोजित की जाती है। [illegible] समिति के प्रा०शि० प्र०पाठ्यपीठों की गोष्ठियाँ [illegible] समिति बार आयोजित की जाती है।

प्र०अ०पाठ्यपीठ के कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। कार्यकारिणी की बैठक वर्ष में चार बार आयोजित की जाती है।

प्र०अ०पाठ्यपीठ जिला शैक्षिक अनुसंधान पाठ्यपीठ के माध्यम से जिले की शैक्षिक समस्याओं पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से समाधान प्रस्तुत करती जिला स्तर पर परीक्षा समिति के माध्यम से आदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण, प्रकाशन एवं [illegible] गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। शैक्षिक [illegible] के माध्यम से जिले में अधिकतम एवं न्यूनतम बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों के [illegible] का परिवीक्षण करा उचित मार्ग दर्शन उपलब्ध कराती है। जिला प्रकाशन समिति के माध्यम से [illegible], शैक्षिक [illegible] एवं उपलब्धियाँ, [illegible] विवरण, पाठ्यक्रम विभाजन एवं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु निदानात्मक पत्र पर विचार कर प्रकाशित कर [illegible] विद्यालयों में उपलब्ध कराना है। पाठ्यपीठ द्वारा [illegible] [illegible] समिति के माध्यम से [illegible] [illegible] [illegible] प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा सांस्कृतिक एवं साहित्यिक [illegible] [illegible] द्वारा विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के उपयुक्त [illegible] [illegible] विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है।

उद्देश्य :-

[illegible] पाठ्यपीठ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

[1] [illegible] शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शैक्षिक, सह शैक्षिक, अनुसंधान, [illegible], शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण,
[2] [illegible] [illegible] [illegible] सम्बन्धी क्रियाविधि, खेलकूद-सांस्कृतिक साहित्यिक एवं [illegible] [illegible] प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं शैक्षिक उपलब्धियों एवं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ज्ञान करना आदि कार्यों के लिए एवं प्रभावी प्रयास करना।

(2) पाठ्येतर गतिविधियों के सम्मेलन, गोष्ठी, परिसंवाद, खेल कूद, विचार विमर्श, [illegible], आदि कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करने में जिला शिक्षा अधिकारी को सहयोग प्रदान करना ।

(3) जिले के शैक्षिक [illegible] पर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन प्रस्तुत करना ।

(4) शैक्षिक योजनाओं का निर्माण करना ।

(5) [illegible] की परीक्षा व्यवस्था करना तथा परीक्षा व्यवस्था में [illegible] प्रदान करना ।

(6) [illegible] एवं [illegible] बोर्ड परीक्षा [illegible] विद्यालयों [illegible] परीक्षा परिणाम उन्नत कराने में सहयोग प्रदान करना

(7) [illegible] आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों [illegible] समाज सेवा, शैक्षिक [illegible], [illegible] प्रतियोगिता, [illegible], राष्ट्रीय शिक्षा एवं विज्ञान-गणित, [illegible] आदि विषयों पर [illegible], प्रशिक्षण शिविर एवं [illegible] आदि के आयोजन में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना ।

(8) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत [illegible] के व्यापक [illegible] का आयोजन में सहयोग देना ।

(9) विद्यालय स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर के [illegible] प्रतियोगिताओं एवं [illegible] की विद्यालय स्तर एवं जिला स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहयोग देना ।

(10) प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में [illegible] एवं [illegible] सहयोग, [illegible] प्रदान, [illegible] शिक्षण सामग्री को [illegible] के [illegible] के माध्यम से प्रदान करना ।

(11) जिला स्तर पर शैक्षिक प्रशासन को [illegible] प्रदान करने की दृष्टि से [illegible] शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं पर अपनी [illegible] प्रस्तुत कर [illegible] निर्णय लेने में सहयोग प्रदान कर [illegible] का निराकरण करना ।

(12) [illegible] हेतु [illegible] करना । [illegible] ।

(13) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का [illegible] के अन्तर्गत [illegible] ।

(14) [illegible] शिक्षा, [illegible] शिक्षा, [illegible] जनसंख्या शिक्षा, [illegible] कार्य [illegible] समाज सेवा आदि पर [illegible] प्रशिक्षण [illegible] का आयोजन करना ।

(15) [illegible] के लिये [illegible] प्रशिक्षण [illegible] का आयोजन करना । विद्यालयों [illegible] का निर्माण करना ।

क्रमशः/-

2......

[16] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में उपादेय सेवारत कार्यक्रम [illegible] करने हेतु संदर्भ केन्द्र एवं अध्ययन गुटों की रचना करना।

[17] [illegible], [illegible], [illegible] योजना, विद्यार्थियों [illegible], [illegible] जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों की सफल क्रियान्विति करना।

[18] 10+2 शिक्षा की दिशा में सफल क्रियान्विति करना। व्यावसायिक [illegible] हेतु आवश्यक एवं व्यावहारिक कदम उठाना।

[19] सेवारत [illegible] के माध्यम से विद्यालयीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना।

[20] सेवारत [illegible] शैक्षिक क्षेत्रों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों को आधुनिक एवं [illegible] मार्ग दर्शन उपलब्ध कराना।

[21] विभिन्न [illegible] योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल बनाना।

[22] शिक्षा जगत की प्रतिभाओं को प्रेरित एवं सम्मानित करना।

[23] सेवारत एवं प्रशासनिक अधिकारियों के विकास को प्रभावी बनाना।

[24] राष्ट्रीय [illegible] स्थायी कोष का समुचित उपयोग करना।

[25] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं 10+2 शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में [illegible] पाठ्यक्रमों पर आधारित क्रियात्मक [illegible] तैयार कर उत्कृष्ट शिक्षण [illegible] तथा परीक्षा परिणाम उन्नत करना।

[26] [illegible], [illegible], [illegible] मानवीय मूल्य तथा राष्ट्रीय [illegible] को प्रोत्साहित करने के लिये सेवारत प्रायोजनायें निर्मित कर लागू करना।

[27] प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कार्य गोष्ठियों का आयोजन कर वार्षिक तथा अर्द्ध-वार्षिक परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र तैयार करना।

[28] सेवारत [illegible] शैक्षिक क्षेत्र में गुणात्मक विकास करना।

[29] सेवारत [illegible], अध्यापक [illegible] कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को सफल बनाने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर [illegible] निरीक्षण करना।

[30] [illegible] स्तर के लिये प्रश्न बैंक का निर्माण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।

[31] बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये [illegible] अध्यापकों द्वारा [illegible] प्रश्न पत्रों का निर्माण तथा परीक्षा परिणाम उन्नत करने हेतु [illegible] कार्य के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना।

[32] जिले [illegible] स्तर पर [illegible] द्वारा किये गये कार्यों की सफल क्रियान्विति एवं विकास की समुचित जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से [illegible] स्तर पर [illegible] की स्थापना करना।

[33] [illegible] स्तर की [illegible] के [illegible] एवं [illegible] को [illegible] कार्यकारिणी का गठन करना।

[34] [illegible] कार्यकारिणी को [illegible] स्तर के [illegible] में [illegible] लागू होने वाले कार्यक्रमों की क्रियान्विति [illegible] में [illegible] करना।

[35] [illegible] अधिकारियों एवं [illegible] के माध्यम से [illegible] का [illegible] उपलब्ध कराना।

क्रमशः/-

[illegible]

[1] [illegible] की [illegible] एवं [illegible] का आयोजन करना। प्रत्येक [illegible] की [illegible] होगी। इन [illegible] में [illegible], [illegible], विचार विमर्श, [illegible], आदि [illegible] [illegible] किये जाते हैं। साथ ही इन [illegible] में [illegible] की [illegible], [illegible] एवं [illegible] पर विचार विमर्श कर [illegible] उपयुक्त निदान [illegible] जायेगा।

[2] [illegible] के [illegible] कार्य:- [illegible], परिचर्चा, [illegible], [illegible] तथा [illegible] में 10 [illegible] तथा [illegible] स्तर पर 4 [illegible] आयोजित करना जिसमें [illegible] पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। इन [illegible] में [illegible] के माध्यम से [illegible] कार्यक्रम का आयोजन कराया जायेगा।

[3] [illegible] [illegible] में से [illegible] का [illegible] स्तर पर किया जायेगा [illegible] के लिये [illegible] स्तर पर आयोजित होगी।

[4] [illegible] के [illegible] आयोजित करना एवं [illegible] आयोजित कार्यक्रमों को [illegible] करना।

[5] [illegible] 9 [illegible] 10 के लिये [illegible] परीक्षण एवं [illegible], [illegible] 10, 11, 12 के लिये [illegible] के प्रश्न का तैयार करना, [illegible] [illegible], [illegible] कार्यों के लिये तैयार करना तथा प्रकाशित कराना।

[6] [illegible] एवं [illegible] स्तर के [illegible] [illegible] के [illegible] अधिकारी/[illegible] के माध्यम से [illegible] का [illegible] करना। [illegible] निर्धारित किये जायेंगे। [illegible], [illegible] के आधार पर।

[7] [illegible] एवं [illegible] स्तर के [illegible] विद्यालयों का [illegible] कर [illegible] करना। [illegible] आवश्यक [illegible] का निर्धारण करना।

[8] [illegible] शिक्षा नीति 1986 की [illegible] को सुनिश्चित करने के लिये [illegible] का निर्धारण करना। [illegible] स्तर के [illegible]/[illegible] के लिये [illegible] का निर्धारण करना।

[9] [illegible] 5, 6, 8 [illegible] 9 के लिये प्रश्न [illegible] का निर्माण करना। [illegible] विद्यालयों को [illegible] कराना।

[10] [illegible] के लिये [illegible] आवश्यक [illegible] एवं [illegible] का निर्माण कर [illegible] कराना।

[11] [illegible] योजना, विद्यालय [illegible] योजना, [illegible] योजना का निर्माण कर विद्यालयों को [illegible] कराना।

[illegible] /-   ......

[12] जिले स्तर पर सभी प्रकार के शैक्षिक प्रकाशनों [illegible] के माध्यम से कराना । शैक्षिक प्रकोष्ठ एवं जिला शिक्षा अधिकारी [illegible] प्रशासन की [illegible] के माध्यम से कराना ।

[13] जिले स्तर पर विद्यालयी [illegible] का निर्माण एवं प्रकाशन कराना ।

[14] दो दिवसीय शैक्षिक [illegible] का आयोजन कराना । जिले के 10 प्रतिशत न्यूनतम उपलब्धि वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा 10 प्रतिशत अधिकतम उपलब्धि वाले विद्यालयों का आयोजन कराना ।

[15] 10 प्रतिशत उच्च उपलब्धि वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा 10 प्रतिशत न्यूनतम उपलब्धि वाले विद्यालयों के परिवीक्षण का उचित कार्य [illegible] उपलब्ध कराना ।

[16] [illegible] के माध्यम से [illegible], वार्षिक प्रगति/उपलब्धि [illegible] एवं [illegible] शैक्षिक [illegible] शैक्षिक प्रयोगशालाएँ [illegible] शैक्षिक अनुसंधान प्रतिवेदनों का प्रकाशन करा[illegible]

[17] जिला/मंडल शैक्षिक अनुसंधान [illegible] के माध्यम से शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं पर [illegible] एवं शैक्षिक अनुसंधान करा कर विद्यालयी समस्याओं का निराकरण कराना ।

[18] [illegible] परीक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित होने अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्माण करने हेतु विषयवार अध्यापकों की विचारगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन करना । प्रश्न पत्रों की समीक्षा कराना ।

[19] [illegible] के स्तर पर [illegible] एवं [illegible] प्रतियोगितायें आयोजित क[illegible]

[20] राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें हेतु [illegible] विद्यार्थियों के लिये प्रशि[illegible] की [illegible] ।

[21] [illegible] के माध्यम से विद्यालयों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं से उच्च अधिकारियों को अवगत करा उनके निराकरण की व्यवस्था कराना ।

[22] [illegible] को प्रभावी बनाना ।

[23] [illegible] स्तर पर विषय समितियों का गठन कर विषयाध्यापन को प्रभावी बनाना ।

[24] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अन्तर्गत व्यापक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों के शिक्षण कार्यों का प्रभावी परिवीक्षण करा अनुवर्तन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन करना ।

[25] [illegible]/मंडल स्तर पर अध्ययन वृत्त एवं [illegible] केन्द्रों की स्थापना कर [illegible] विद्यालयों को लाभान्वित करना ।

[26] विद्यालयों में सम्पादित आंतरिक मूल्यांकन पद्धति का [illegible] कर निष्कर्ष [illegible], जो [illegible] उपलब्धियों के आधार पर जिले के सर्वोत्कृष्ट विद्यालय को पुरस्कृत करना । उत्कृष्ट उपलब्धि वाले विद्यालयों के [illegible] राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को संस्तुति करना ।

[27] जिला स्तरीय पुस्तक मेले का आयोजन कराना ।

|28| अन्य प्रोजेक्ट सम्पन्न विद्यालयों में भाषा प्रयोगशाला स्थापित करना ।

|29| विद्यालय स्तर पर खेलकूद/साहित्यिक सांस्कृतिक/विज्ञान मेला आदि प्रतियोगितायें आयोजित कर जिला स्तर पर विजय हो तथा अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

|30| विद्यालय केन्द्र स्तर पर भौतिक साधन सुविधाओं का लेखा करना तथा आवश्यक सामग्री यथा श्याम पट्ट, दरी पट्टी, टेबल-कुर्सी, स्टूल, कुर्सी, चा-[illegible] आदि का अभावग्रस्त विद्यालयों में समुचित वितरण कर आपरेशन ब्लैक बोर्ड की प्रभावी क्रियान्विति को अंशतः गति प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना ।

|31| प्रधानाध्यापकों को विद्यालय के शैक्षिक क्रियाकलापों की गति सफलता पूर्वक करने हेतु सक्षम बनाने के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उन्हें कोष नियमों, क्रय प्रक्रिया आदि की जानकारी आवश्यकतानुसार प्रदान कर उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित करना ।

|32| विभिन्न विषयों में सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु प्रत्येक [illegible] में [illegible] शिविर आयोजित करना ।

|33| विद्यालयों में उपलब्ध कम्प्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि का अधिकतम शैक्षिक उपयोग करने की दृष्टि से अन्य पड़ोसी विद्यालयों को सम्मिलित करना ।

|34| [illegible] की [illegible] को निःशुल्क [illegible], [illegible] शिक्षा [illegible] अधिकाधिक अध्यापकों को सम्मिलित करना ।

|35| [illegible] आयोजित कर [illegible] एवं क्रियात्मक [illegible] का प्रभावी [illegible] प्रति के विद्यालय को [illegible] कराना ।

|36| [redacted] प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये विशेष अध्ययन की व्यवस्था करना ।

|37| विद्यालय अनुश्रवण व मूल्यांकन के अन्तर्गत [illegible] के पिछड़े विद्यार्थियों में शैक्षिक [illegible] पद्धति से करना ।

|38| नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने वाले आशार्थियों को प्रवेश परीक्षा के लिये तैयार करने के लिये अध्यापकों को प्रशिक्षित करना ।

|39| शिक्षा [illegible] के माध्यम से मानवीय मूल्यों, [illegible], नैतिक [illegible] राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिये प्रायोजनाओं का [illegible] कराना ।

|40| विज्ञान, [illegible], जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, जीवन विज्ञान, [illegible] उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा आदि विषयों पर सेवारत अध्यापक अभिनव प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना । इन शिविरों की [illegible] का अध्ययन करने की दृष्टि से प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रभावी परिवीक्षण करना ।

|41| विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेला, पर्यावरण प्रदर्शनी, अध्यापक [illegible] आदि के आयोजन कर जिले स्तर/संभाग स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।

(42) अन्य [illegible], परिवार कल्याण योजना, कुपोषण, [illegible] शिक्षा, महिला [illegible], विकलांगों की शिक्षा, अल्पसंख्यक एवं अन्य भाषा शिक्षा, आदि [illegible] के प्रति कार्यक्रमों की [illegible] क्रियान्वित हेतु [illegible] परिषदी [illegible] कार्यक्रमों को गति देना ।

(43) [illegible] शिक्षा नीति 1986 एवं 10 + 2 शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में [illegible] विज्ञान, गणित, सामाजिक [illegible], अंग्रेजी आदि विषयों पर [illegible] कक्षा 9 व 10 के लिये निदानात्मक परीक्षण तैयार [illegible] करना ।

(44) [illegible], अध्यापक व्यवसाय तथा [illegible] की दृष्टि से विभिन्न स्तरों [illegible] अध्यापकों, [illegible] एवं अन्य [illegible] के लिये [illegible] का निर्धारण करना ।

(45) [illegible] अध्यापकों [illegible] 10 व 11 के लिये [illegible] परीक्षा परिणाम [illegible] विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना ।

(46) [illegible] स्तर पर [illegible] द्वारा किये गये कार्यों [illegible] की [illegible] जानकारी उपलब्ध [illegible] स्तर पर प्रभावी प्रयोग हेतु विभिन्न [illegible] का निर्धारण [illegible] सोचना ।

(47) [illegible] कार्यकारिणी का गठन [illegible] ।

(48) [illegible] सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों [illegible] प्रशिक्षण [illegible] का उपलब्ध करना ।

(49) [illegible] दृष्टि से [illegible] सभी [illegible] को [illegible] ।

(50) [illegible] की गुणवत्ता [illegible] करना ।

(51) [illegible] ।

स्व०/-

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B,Sri Aurbindo Marg,New Delhi-11001
No. D-5509
11/12/90

:- अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की समस्याएं एवं उनके समाधान के व्यावहारिक उपाय :-

(1) **बहुत कम अनुदान मिलना -**

राज्य में संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान बहुत कम है। संस्थाओं को डी०, सी०, बी० व ए० चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिन्हें क्रमशः 50, 60, 70 व 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ अभी गिनी संस्थाओं को विशेष श्रेणी में 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है। 50 से 70 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं अधिक हैं। प्रदेश में संस्थाओं को दिया जाने वाला यह अनुदान देश के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। केरल, मद्रास, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में संस्थाओं को कर्मचारियों के वेतन पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। दिल्ली में कुल खर्च का 90, मध्य प्रदेश में 85 एवं कर्नाटक में 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है। राजस्थान को छोड़ देश के किसी भी अन्य राज्य में संस्थाओं को 75 प्रतिशत से कम अनुदान नहीं मिलता।

शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है। अनुदानित संस्थाएं इस दायित्व को पूरा करने में सरकार का सक्रिय सहयोग कर रही हैं। यदि यही कार्य सरकार करे तो उसे कई गुना अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। संस्थाओं में कर्मचारियों के शोषण का एक प्रमुख कारण उन्हें बहुत कम अनुदान मिलना है।

सुझाव - अनुदान की वर्तमान श्रेणियां समाप्त कर इसके स्थान पर सभी संस्थाओं को उनके स्तर के अनुसार बी० व ए० दो श्रेणियों में विभाजित कर क्रमशः 80 व 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाय।

(2) **आवश्यक संख्या में पदों का आवंटन नहीं होना -**

संस्थाओं की आर्थिक कठिनाई का एक प्रमुख कारण विभाग द्वारा उन्हें आवश्यक संख्या में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पद आवंटित नहीं करना है।

सुझाव - सरकार जिस मापदण्ड से सरकारी स्कूलों में अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पद आवंटित करती है उसी के अनुसार बिना किसी भेदभाव के संस्थाओं को भी कर्मचारी दिये जावें।

(3) विकास पर प्रतिबंध -

अधिकांश अनुदानित शिक्षण संस्थाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इनमें प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की भीड़ लगी रहती है परन्तु बहुत बड़ी अधिक संख्या में विद्यार्थियों को इन्हीं संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता। संस्थाएं छात्र संख्या में वृद्धि के लिए उत्सुक नहीं रहती है, क्योंकि सरकार संस्थाओं को नये वर्ग खोलने की स्वीकृति इस शर्त पर देती है कि संस्था पाँच वर्ष तक इसके लिए अनुदान की मांग नहीं करेगी। इस प्रकार का प्रतिबंध संस्थाओं के विकास में बाधक है।

सुझाव - संस्था पर प्रवेशार्थियों का दबाव उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। अतः ऐसी संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु छात्र संख्या में वृद्धि के साथ-साथ ही उनके अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के पद आवंटित किये जावे। ये ही विद्यार्थी जब सरकारी विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं तो भवन के अतिरिक्त भी सरकार को इससे कई गुणा अधिक खर्च करना पड़ता है। संस्थाएं भवन आदि की व्यवस्था स्वयं करती है। अतः यदि संस्थाएं कम खर्च में बेहतर तरीके से सरकार के उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहयोग करती है तो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

(4) समय पर अनुदान नहीं मिलना -

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को भी समकक्ष राज्य कर्मचारियों के ही समान वेतन, मंहगाई भत्ता एवं बोनस देने का प्रावधान है। परन्तु इसके लिए मंहगाई भत्ते, बोनस एवं नवीन वेतनमान लागू होने के आदेश जब से प्रसारित होते हैं वो प्रायः 4-6 महीने विलम्ब से मिलते हैं। अतः संस्थाओं को अपने कर्मचारियों को इसका भुगतान परिपत्र के रूप में करना पड़ता है। संस्थाएं अपने साधनों से पहले कर्मचारियों को राशि का भुगतान करती है, फिर लम्बी प्रक्रिया से गुजरने के बाद निदेशालय से इस पर अनुदान स्वीकृत होता है। इस प्रक्रिया में साल - दो साल लग जाना सामान्य बात है। संस्थाओं की तो यहाँ तक शिकायत है कि प्रायः4-5 वर्ष तक उन्हें समय पर अनुदान नहीं मिलता है। संस्थाओं की यह एक बहुत बड़ी कठिनाई है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है।

सुझाव - बोनस, मंहगाई भत्ते एवं वेतनमान परिवर्तन के आदेश के

संस्थाओं के लिए भी राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ ही प्रस्तावित कर दिये जायें तथा इससे होने वाले व्यय भार को वहन करने के लिए आदेश के साथ ही अनुमानित अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान की जाये।

(5) <u>निर्धारित अनुदान में प्रतिवर्ष भारी कटौती होना -</u>

प्रतिवर्ष संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान में बहुत कटौती की जाती है। एक सूचना के अनुसार इस वर्ष (1988-89) में (2 करोड़ रुपयों की कटौतियाँ की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से अधिकांश कटौतियाँ बहुत साधारण कारणों से होती है जिन्हें टाला जा सकता है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक राशि संस्थाओं को पुनः स्वीकृत की जाती है परन्तु इसमें 2-3 वर्ष लग जाते हैं तथा बहुत परेशान होना पड़ता है।

सुझाव - संस्थायें 31 अगस्त तक अपने अनुदान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देती है। यदि जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा उप निदेशक के स्तर पर दिसम्बर तक इनकी जाँच कर ली जाय और यदि इसमें कोई कमी है तो एक माह के अन्दर-अन्दर संस्था को उसे पूरा करने का अवसर देने के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाय तो इस कठिनाई से बचा जा सकता है। इससे संस्थाओं को भी आर्थिक कठिनाई से नहीं गुजरना पड़ेगा तथा विभाग पर भी प्रति वर्ष के कार्य का भार कम होगा।

(6) <u>कुछ विशेष योग्यता के शिक्षक उपलब्ध न होना -</u>

सेकण्ड ग्रेड में अंग्रेजी, विज्ञान (गणित) तथा प्रथम ग्रेड में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों के अध्यापकों की कमी है। अतः अनुदान प्राप्त संस्थाओं को इन विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं होते है। गाँवों में यह कठिनाई बहुत अधिक है। निदेशालय ने सभी स्तर के अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा रखा है। इससे संस्थाओं को बहुत कठिनाई होती है तथा अकारण आर्थिक दंड का सामना करना पड़ता है।

सुझाव - चयन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने, अर्थात् दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देने एवं नियोजन कार्यालय से आशार्थी मंगवाने के बाद भी यदि प्रशिक्षित आशार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसे विषयों में एक शैक्षिक सत्र के लिए अध्यापकों का अस्थाई रूप से नियुक्त किये जाने की छूट दी जानी चाहिये।

(7) कन्टेन्जेन्सी एवं अन्य व्ययों के लिए पर्याप्त अनुदान नहीं मिलना -

संस्थाओं को पानी प्रकाश, स्टेशनरी छपाई, फर्नीचर मरम्मत, पोस्टेज व आदि के लिए अनुदान नियमों में जो दरें निर्धारित की गई है वे 1960-61 के बाजार मूल्यों पर आधारित है। 20 वर्षों की लम्बी अवधि में सिर्फ एक बार यह सीमा बढ़ाकर दुगुनी की गई है जबकि इस अवधि में मंहगाई में 10 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ - 1960-61 में कागजों की जो रीम 20 रुपया में मिलती थी वह आज 280 रुपये में मिलती है। बिजली की दर 0.10 पैसा प्रति यूनिट थी जो आज 1 रुपया है। चौकीदार 4 रुपया प्रति दिन की मजदूरी पर कार्य करता था आज 40 रुपया लेता है। इस प्रकार संस्थाओं को अन्य व्यय के लिए मिलने वाला अनुदान बहुत कम है। इसके अतिरिक्त इन मदों पर अनुदान देने के लिए छोटी बड़ी संस्थाओं में कोई अन्तर नहीं किया गया है। 200 विद्यार्थियों की संस्था को भी उतना ही अनुदान मिलता है जितना दो हजार की छात्र संख्या वाली संस्था को। यह उचित नहीं है।

सुझाव - अन्य व्ययों की सीमायें वर्तमान बाजार मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाय तथा छोटी और बड़ी संस्थाओं के लिए उनके आकार के अनुसार इसमें अन्तर किया जाय।

(8) कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध न होने से योग्य व्यक्तियों का पलायन -

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी, मकान किराया, चिकित्सा भत्ता आदि की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, इसलिए अच्छे शिक्षक इनकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। यदि अच्छे शिक्षक इन संस्थाओं की नौकरियों में आते भी है तो अवसर मिलते ही संस्था छोड़कर सरकारी नौकरियों में चले जाते है। अंग्रेजी, विज्ञान, आदि विषयों में प्रायः संस्थाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव रहता है। संस्थाओं में अध्यापकों का स्थायित्व नहीं रहने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है।

सुझाव - अनुदानित संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों को भी समकक्ष राज्य कर्मचारियों के समान सुविधायें प्रदान की जाय ताकि इनमें स्थायित्व आवे और ये अधिक अच्छा कार्य कर सके।

[9] भविष्यनिधि की कटौती में भेदभाव तथा ऋण की सुविधा न होना -

अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौती में समानता नहीं है। भूतपूर्व जोधपुर के रियासत के क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों तथा कालेज स्तर की संस्थाओं के 8.33% प्रतिशत से भविष्यनिधि की कटौती का लाभ दिया जा रहा है जब कि शेष संस्थाओं के कर्मचारियों को मात्र 6 1/2 प्रतिशत की कटौती का लाभ मिल रहा है। संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्यनिधि की कटौती मूल वेतन पर की जा रही है जबकि केन्द्रीय भविष्यनिधि अधिनियम में [जो इन संस्थाओं पर भी लागू होता है] कुल वेतन पर 12 1/2 प्रतिशत कटौती का लाभ देय है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान नियमों में इन संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्यनिधि की अपनी जमा राशि में से मात्र तीन माह के मूल वेतन के बराबर ही ऋण देने का प्रावधान है। अपने आश्रितों की शादी, मकान बनाने आदि आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह राशि न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। कर्मचारियों को अन्य किसी प्रकार के ऋण की सुविधा नहीं है।

सुझाव - केन्द्रीय भविष्यनिधि अधिनियम के अनुरूप कर्मचारियों की भविष्य निधि की कटौती 12 1/2 प्रतिशत की जावे तथा भविष्य निधि के ऋण के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर इन्हें उदार बनाया जावे। कर्मचारियों को भवन निर्माण जैसी ऋणयुक्त सुविधा तथा अपने आश्रितों के विवाह जैसे सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु भविष्य निधि से 90 प्रतिशत तक ऋण दिये जाने की सुविधा प्रदान की जावे।

NIEPA DC
D05509